सैंटर फॉर डिस्टैंस एंड आनलाईन ऐजुकेशन विभाग

पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला

कक्षा : बी.एड. भाग-प्रथम | *सैमेस्टर-1*

पेपर : IV और V विकल्प (i)
(हिन्दी शिक्षण) | *एकांश संख्या : 1*

माध्यम : हिन्दी

पाठ नं.

1.1 हिन्दी भाषा प्रकृति, भाषा का विकास और समाज से संबंध

1.2 भाषा का माध्यम भाषा के रूप में प्रयोग – एक आलोचनात्मक दृष्टि

1.3 भाषा और माध्यम भाषा में अन्तर

1.4 भाषाओं की स्थिति संविधान की धारा, कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, पी.ओ.ए. 1992 व राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005

Website : www.pbidde.org

PAPER–IV&V: PEDAGOGY OF SCHOOL SUBJECT (PART-I)
(III)TEACHINGOF HINDI

SUBJECTCODE:EDUBED1104T **M.M. 50**
SUBJECT CODE : EDUBED1105T **External: 35**
Internal:15

(A) COURSE OUTCOMES

After completion of the course the student teacher will be able to:

- Hone the skill of Lesson Planning at the Secondary level.
- Understand and organize co-curricular activities for teaching of Hindi.
- Get acquainted with the methods of teaching Hindi.
- Develop the skills of preparing and using effectively the instructional materials for the teaching of Hindi.
- Get acquainted with principles of preparing curriculum for Hindi.
- Develop diagnostic and remedial measures through Evaluation in teaching Hindi.
  * विद्यार्थी–अध्यापक को हिन्दी भाषा के विकास प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना।
  * विद्यार्थी–अध्यापक को हिन्दी भाषा के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे मे जागरूक करना।
  * विद्यार्थी–अध्यापक को हिन्दी भाषा के अध्यापक की विधियों के बारे में जागरूक करना।

Syllabus
Section-A

1. हिन्दी भाषा की प्रकृति, भाषा का विकास और समाज से संबंध।
2. भाषा का माध्यम भाषा के रूप में प्रयोग – एक आलोचनात्मक दृष्टि, भाषा और माध्यम भाषा में अंतर, भाषा की शिक्षा संबंध में भूमिका
3. भाषाओं की स्थिति संविधान की धारा 351–343, कोठारी कमीशन 66–1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, पी.ओ.ए. 1992 व राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005

Section-B

1. हिन्दी भाषा की स्थिति और भूमिका – स्वतन्त्रता से पहले और स्वतन्त्रता के बाद, हिन्दी भाषा शिक्षण अधिगम के समय विद्यार्थी–शिक्षक के सामने आने वाली चुनौतियाँ
2. भाषा शिक्षण की प्रचलित विधियाँ – प्रत्यक्ष प्रणाली, ढांचागत प्रणाली, प्राकृतिक प्रणाली व संप्रेषणात्मक प्रणाली
3. भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण को प्रभावी बनाने में इनकी भूमिका, हिन्दी भाषा के विविध रूप–मातृ भाषा, राष्ट्रीय भाषा व अन्र्तराष्ट्रीय भाषा

Activities (Anyone of the following)

(i) Discussion on the problems of Hindi language at School level.
(ii) Identification of spelling errors at the elementary level and remedial measures.
(iii) Identification of pronunciation errors at the elementary level and remedial measures.

(B) BOOKSRECOMMENDED

1. Kumar, Krishna. (2007).*The child's language and the Teacher*. New Delhi: National Book.
2. Mangal, U.(2010). *Teaching of Hindi*, New Delhi : Arya Book Depot.

3. National Curriculum Framework (2005), New Delhi : NCERT.
4. Safaya, Raghunath. *Methods of Teaching of Hindi.* Jalandhar : Punjab Book Depot.
5. Sinha, S.(2009). *Roseublatt's Theory of Reading.* Explaining Literature contemporary education dialogue. 6(2), PP223-237.
6. Sullivan, M. (2008). *Lessons for Guided writing* scholastic. National curriculum framework. (2005).
7. Billows, F. L. : *The Techniques of Language Teaching.*
8. Unesco : *Teaching of Modern Languages.*

(C) EVALUATION

External Examination	35Marks
Internal Assessment	15Marks
Attendance	3
Written Assignment/Project work/ Response Sheet	6
Two Mid-term Examinations/House Test	6

(D) INSTRUCTIONS FOR THE PAPER-SETTER

The question paper will consist of three Sections: A, B, and C. Section A and B will have two questions from the respective sections of the syllabus and will carry 12 marks each. Section C will consist of 5 questions of 2 marks each and one objective type question of one mark which will cover the entire syllabus uniformly.

(E) INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES

Candidates are required to attempt one question each from the sections A and B and the entire section C.

Updated on August, 2025

बी.एड. भाग-प्रथम | **पेपर : IV और V विकल्प (i)**

सैमेस्टर - पहला | **हिन्दी शिक्षण**

पाठ नं॰ 1.1 | **लेखक : डॉ. आई. डी. जौहर**

सुधारिका : डॉ. श्रीमति सुधा सिंह

हिन्दी भाषा प्रकृति और उसका महत्त्व

प्रस्तावना :

1.1.1 उद्देश्य

1.1.2 प्रस्तावना : भाषा

1.1.3 भाषा के रूप

1.1.3.1 भाषा की प्रकृति

1.1.3.2 भाषा के अनेक स्वरूप

1.1.3.3 भाषा के विविध रूप

1.1.4 भाषा का महत्व

1.1.5 भाषा और मानसिक विकास

1.1.6 भाषा का व्यक्ति के विकास में स्थान या समाज से सम्बन्ध

1.1.7 सारांश

1.1.8 स्वयं जांच अभ्यास

1.1.9 अभ्यास के लिए प्रश्न

1.1.10 सहायक पुस्तकें

1.1.1 उद्देश्य : इस अध्याय को पढ़ने के उपरांत विद्यार्थी

(i) भाषा क्या है तथा भाषा की प्रकृति को समझ पाएंगे।

(ii) भाषा के स्वरूप के ज्ञान के बारे में बता पाएंगे।

(iii) भाषा के महत्व को समझ पाएंगे।

1.1.2 प्रस्तावना :

भाषा भाव की अभिव्यत्ति का साधन है। पशु पक्षी भी अपने अपने स्वरों में अपने आपकों व्यक्त करते हैं, जैसे गाया रम्भा कर, बकरी मिमिया कर, कुत्ता भौंक कर इत्यादि। इसी प्रकार इशारों से, स्पर्श से अथवा ध्वनि से, (ताली बजाकर, चुटकी बजा कर) भी भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। व्यापक अर्थों में ये सभी अभिव्यक्ति के साधन हैं और इसलिए इन्हें भाषा कहा जाता हैं। किन्तु जिस अर्थो में ''भाषा'' शब्द का प्रयोग सामान्यतः होता है उन अर्थो में इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। जब मनुष्य सभ्य नहीं हुआ था और जंगली जीवन व्यतीत करता था तब वह अपने भावों की अभिव्यक्ति इंगित द्वारा, मुख के भावों द्वारा और चिल्ला कर किया करता था। धीरे धीरे उसने भाषा का प्रयोग सीखा और उसने बोलकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करनी आरम्भ की। संकुचित या सामान्य अर्थों में अभिव्यक्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा बोलने को ही भाषा कहा जाता है। बोलना भी पशु–पक्षियों का न होकर मनुष्य का सार्थक ध्वनियों का बोलना माना गया है। भाषा मानवीय भाव की अभिव्यक्ति का साधन है।

परिभाषा

1. भाषा की अनेक परिभाषाऐं दी गई हैं :– ''भाषा'' शब्द संस्कृत का 'भाष्' धातु से बना जिसका अर्थ है 'बोलना' या 'कहना', अतः बोले जाने को भाषा कहा जायेगा।
2. महर्षि पंतजलि के अनुसार, ''भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।''
3. प्लेटों ने विचार की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति को भाषा कहा है।
4. स्वीट के मतानुसार, ''ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति शब्दों द्वारा विचाारों को प्रकट करना ही भाषा है।''
5. वैन्द्रियें भाषा को विचार प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह अथवा प्रतीक मानते हैं।
6. इन्साइक्लोपीडिया. ब्रिटेनिका के अनुसार , ''भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मनमाना या नियमेतर या यादृच्छिक (स्वतन्त्र, अप्रत्यशित या arbitrary ऐच्छिक) ध्वनि–प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं।''

भाषा की कोई निश्चत परिभाषा दे पाना बहुत कठिन कार्य है। संक्षेप में भाषा सार्थक ध्वनि–प्रतीको की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा इसका प्रयोग करने वाले आपस में विचारों का आदान–प्रदान मौखिक या लिखित दोनों ही रूपों में कर सकते हैं।

1.1.3 भाषा के रूप :

भाषा के दो रूप होते हैं – (i) उच्चरित (ii) लिखित।

भाषा के उच्चरित रूप का व्यवहार हम प्रतिदिन अपनी बोलचाल में करते हैं। इसे 'मौखिक भाषा' अथवा 'बोली' कहा जाता है भाषा के लिखित रूप मे हमारा सारा ज्ञान–भण्डार आता है जो पीढ़ी–दर–पीढ़ी हम तक पहुँचता है। इसके अतिरिक्त हम अपने विचारों को लेख,पत्र, कहानी या अन्य साहित्यिक विद्या द्वारा प्रकट करते हैं, वह अधिकतर लिखित रूप में ही होता है।

1.1.3.1 भाषा की प्रकृति

भाषा की प्रकृति के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है :

(क) भाषा अर्जित सम्पत्ति है – भाषा का ज्ञान जन्मजात नहीं होता । भाषा का अर्जन सामाजिक सम्बन्धों से होता है और यह समाज में रहकर स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है।

(ख) भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है – बालक शुरू से ही परिवार, मुहल्ले , विद्यालय आदि अभिकरणों के माध्यम से अनुकरण द्वारा भाषा का अर्जन सहज भाव से करता है। यदि बालक को जन्म से ही मानव–समाज से पृथक रखा जाये और उसे भाषा सुनने का अवसर प्राप्त न हो तो वह गूंगा ही रह जायेगा।

(ग) भाषा परिवर्तनशील है – भाषा हर क्षण गतिमान बहती सरिता के समान है, जिसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि इसे हम सामान्य रूप मे रेखांकित नहीं कर पाते। किन्तु यदि हम सौ पचास वर्ष पूर्व की भाषा से वर्तमान भाषा की तुलना करते हैं, तो यह परिवर्तन हमें सहज ही दिखाई देता है।

1.1.3.2 भाषा के अनेक स्वरूप :

(i) बोली (Dialect) स्थान – विशेष के मनुष्यों की बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है। इसे 'घरू' भाषा भी कहा जाता हैं। 'घरू' अर्थात् घर में प्रयोग की जाने वाली बोली।

(ii) मानक भाषा (Standard Language) भाषा के अनेक रूप प्रयोगों में शिष्ट समाज की भाषा मे एकरूपता होती है। यह व्याकरण–सम्मत भी होती है। अन्य समाज भी इसी का अनुकरण करता है। इसी को मानक भाषा कहा जाता है।

(iii) साहित्यिक भाषा (Literary Language) – बोली अथवा आम भाषा लोगों की सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। इसका व्याकरण–सम्मत अथवा परिनिष्ठित होना आवश्यक नहीं। बोली अथवा बोलियों द्वारा निर्मित आधार भूत शब्दावली के आधार पर साहित्यकार रचना करते है। यह भाषा परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत होती है।

1.1.3.3 भाषा के विविध रूप निम्नलिखित हैं :

(**i**) **मूल भाषा :** सभ्यता के प्रारम्भिक काल में जब भाषा की उत्पत्ति हुई होगी तो बहुत से मनुष्य कुछ ही स्थानों पर इकट्ठे रहते होंगे। ऐसे स्थानों में से किसी एक ही स्थान की भाषा से अनेक ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से आगे चलकर अनेक भाषाएं बोलियां, उपबोलियां आदि बनी होंगी। यही मूल भाषा कही जाएगी। जैसे वैदिक संस्कृत उत्तरी भारत की आर्य भाषायों की मूल भाषा है।

(**ii**) **सांस्कृतिक भाषा :** जिस भाषा में किसी राष्ट्र अथवा समाज की परम्परागत सभ्यता, आचार–विचार और ज्ञान का भण्डार सुरक्षित रहता है। वह सांस्कृतिक भाषा कहलायेगी। भारत की सांस्कृतिक भाषा 'संस्कृत' है।

(**iii**) **मातृभाषा :** वह भाषा जिसे बच्चा माता के दूध द्वारा माता की गोद में पलकर सीखता है। बच्चा माता के साथ साथ अन्य परिवारजनों गली–मुहल्ले के लोगों से और आस–पास के वातावरण में रहते हुए सहज रूप से इस भाषा को सीखता है। इसे सिखाने के लिए किसी औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं। मातृभाषा के रूप में ग्रहण की हुई यह भाषा अनेक बार एक व्यापक भाषा की कोई एक बोली होती है। बालक की मातृभाषा उस क्षेत्र की भाषा कही जाएगी जिसकी वह बोली है। यथा – पंजाब की पंजाबी, बंगाल की बंगाली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश आदि की हिन्दी।

मातृभाषा का बालक के विकास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। पी.बी.बेलर्ड के मतानुसार ''मातृभाषा बच्चा की वह भाषा है जिसके माध्यम से वह सोचता है और सपने बुनता है।''

(**iv**) **प्रादेशिक भाषा :** किसी प्रदेश विशेष अथवा प्रान्त के बहुसंख्यक लोगों द्वारा नित्यप्रति व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। इस भाषा की सामान्यतः अपनी लिपि और साहित्य भी होता है। जहां पंजाब की प्रादेशिक भाषा पंजाबी है वहीं बिहार, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश आदि की भाषा हिन्दी है। कोठारी आयोग के अनुसार बच्चे को जो भी भाषा पढ़ाई जायें, उनमें एक प्रादेशिक भाषा भी होनी चाहिए।

(**v**) **राज भाषा :** किसी प्रान्त या प्रदेश विशेष का राजकार्य जिस भाषा के माध्यम से होता है उसे वहां की राजभाषा कहा जाता है। जैसे पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हिन्दी। एकाधिक भाषाओं वाले देश में केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्य–व्यापर चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है वह भी राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ–राज्य की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि संविधान लागू होने के मात्र 15 वर्ष तक हिन्दी के साथ–साथ अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। किन्तु अनेक राजनैतिक कारणों से अंग्रेजी का प्रयोग अब भी हो रहा है।

(**vi**) **राष्ट्र भाषा :** किसी देश के राजकीय कार्यो तथा सार्वजनिक कार्यो में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राष्ट्र भाषा कहलाती है। यह प्रायः वह भाषा होती है जिसे राष्ट्र की अधिकतम जनसंख्या समझती हो। हिन्दी भाषा भारत की अधिकांश जनसंख्या की भाषा होने के कारण हमारी राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय आत्मसम्मान और देश की एकता के लिए राष्ट्र भाषा का विशेष महत्त्व है।

(**vii**) **अन्तर्राष्ट्रीय भाषा :** जिस भाषा के माध्यम से संसार से अधिकतम राष्ट्र एक दूसरे के साथ पत्र–व्यवहार विचार – विनियम, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार इत्यादि सम्बन्धी आदान–प्रदान करते हैं, उस भाषा को राष्ट्र विशेष की भाषा होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा कहा जा सकता है। अनेक कारणों से अंग्रेजी को आज यह स्थान प्राप्त है यद्यपि चीन, रूस, फ्रांस आदि देश इसे स्वीकार नहीं करते।

1.1.4 भाषा का महत्त्व : ए. पेई का कथन हैं, ''भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है'' भाषा के कारण ही मनुष्य पशु के स्तर से ऊपर उठकर विचारशील प्राणी कहला सका है। भाषा के बिना सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा के बिना विचारशीलता और सभ्यता की बात तो दूर मनुष्य के दैनिक क्रिया कलाप भी सुचारू रूप से पूर्ण नहीं हो सकते। पं. सीताराम चतुर्वेदी ने लिखा है ''भाषा के अविर्भाव से सारा संसार गूंगों की बस्ती से बच गया।''

भाषा के बिना न आत्मभिव्यक्ति सम्भव है और न ज्ञान–प्राप्ति। साहित्य कला, कला, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि सभी का आधार भाषा है। जंगली मानव से आज के सभ्य मानव की यात्रा में भाषा का ही प्रमुख हाथ है। भाषा के माध्यम से ही कोई समाज या राष्ट्र अपने परम्परागत ज्ञान को सुरक्षित रखकर आने वाली सन्ततियों तक पहुंचाता है। संस्कृति और राष्ट्रीय धरोहर को प्राप्त करने की कुंजी भाषा ही है। भाषा ही अतीत को वर्तमान से जोड़ती हुई सुनहरे भविष्य का पथ–प्रशस्त करती है। राष्ट्र की प्रगति के लिए समृद्ध भाषा का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मनुष्य की सामाजिकता का आधार भी भाषा ही है। भाषा का मानव जीवन में बहुआयामी स्थान है, जैसे :–

(i) शारीरिक विकास : बालक प्रारम्भिक जीवन में अपनी सभी आवश्यकताएं मातृभाषा के माध्यम से पूरी करता है। यथा भूख लगी तो खाने के लिए मांगना, अपनी आवश्यकताएं बताना, सुख पीड़ा की अनुभूति करना। मातृभाषा के माध्यम से अपने शरीर की स्थूल आवश्यकताएं पूरी करता है। इसके अतिरिक्त मातृभाषा के रूप में ज्ञान अत्यन्त सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है। सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने से सम्बन्धित इन्द्रियों पर बोझ नहीं पड़ता। मातृभाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति इतनी सहज होती है कि इससे मस्तिष्क पर कोई तनाव नहीं पड़ता और शारीरिक विकास की गति अवरूद्ध नहीं रहती है।

(ii) मानसिक विकास : बालक का जगत को जानने का माध्यम मातृभाषा ही है। औपचारिक शिक्षा के पूर्व ही बालक की अनौपचारिक शिक्षा आरम्भ हो जाती है और उसका साधन होते है मातृभाषा। इसी के माध यम से बालक में विचार शक्ति उत्पन्न होती है। विचार–ग्रहण और अभिव्यक्ति का साधन भी मातृभाषा ही बनती है। ध्वनि–ग्रहण, अर्थ और भाव ग्रहण चिन्तन–मनन, विश्लेषण– संश्लेषण आदि मानसिक क्रियाएं मातृभाषा के माध्यम से सहज ही सम्भव हो जाती हैं। मातृभाषा बालक की आरम्भिक मननचिन्तन भाव–ग्रहण और भावाभिव्यक्ति का साधन है। गांधी जी के अनुसार ''मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा से सूक्ष्म संकेतों को हम सहज और निश्चित रूप से ग्रहण कर सकते हैं।''

(iii) शिक्षा एवं ज्ञान : बालक की अनौपचारिक शिक्षा के उपरान्त औपचारिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से होने पर ज्ञान प्राप्ति अत्यन्त सुगम हो जाता है। मातृभाषा में बच्चे को सहज ही विषय समझाने के कारण ज्ञान प्राप्ति में उसके मस्तिष्क पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा में प्रारम्भिक शिक्षा देने से रटन्त प्रणाली के प्रयोग का भय है जिसके कारण शिक्षा और ज्ञान को ऊपर से आरोपित होने का भय रहता है।

(iv) भावात्मक विकास : मातृभाषा से बालक के लिए भावग्रहण और अभिव्यक्ति अत्यन्त सहज हो जाती है। बचपन में पढ़ी जाने वाली कविताएं, कहानियां आदि उसे गहरे रूप में प्रभावित करती हैं वह उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं। वह दूसरों के भावों को हृदयंगम कर सकता है और अपने भावों को सहज प्रेषित कर सकता है पढ़ने लिखने और विचारों के आदान–प्रदान करने में उसका भावात्मक विकास होता है। रायबर्न के अनुसार ''मातृभाषा एक उपकरण है, आनन्द और ज्ञान का एक स्रोत है, रूचियों और अनुभूतियों का एक निदेशक और विधाता द्वारा मनुष्य को ही दी हुई सर्वोतम शक्ति के प्रयोग का साधन है जिसके द्वारा हम उस भगवान के निकटतम पहुंचते है।''

(v) सांस्कृतिक विकास : मातृभाषा के माध्यम से बच्चे को प्रदेश के रहन–सहन, रीति–रिवाज, आचार–विचार

का ज्ञान होता है। मातृभाषा के माध्यम से वह लोक–जीवन के साथ सहज की जुड़ जाता है। भाषा के साहित्य से वह लोक–संस्कृति से घुल मिल जाता है। जाकिर हुसैन कमेटी के अनुसार ''मातृभाषा बालकों को अपने पूर्वजों के विचारों, भावों और महत्वकांक्षाओं की समृद्ध धाती से परिचित कराने का सर्वोत्तम साधन है''

(vi) आदर्श नागरिक बनाने में योगदान : मातृभाषा बालक को बौद्धिक, भावात्मक, रागात्मक विकास करते हुए उसके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है। अपने दायित्वों, कर्त्तव्यों को समझते हुए वह एक आदर्श नागरिक बन सकता है। रायबर्न के अनुसार , वे समस्त गुण जो अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक हैं – स्पष्ट विचार – क्षमता, स्पष्ट अभिव्यक्तिकरण, भावना और क्रिया की सत्यता, भावात्मक और सृजनात्मकता जीवन की पूर्णता – इन समस्त गुणों का पल्लवन तथा विकास तभी सम्भव है जब केवल भावात्मक और बौद्धिक जीवन की नींव, मातृभाषा पर यथेष्ट ध्यान दिया जाए।

1.1.5 भाषा और मानसिक विकास

इंगलिश और इंगलिश के मतानुसार – विकास शरीर व्यवस्था में होने वाले सतत परिवर्तन का एक क्रम है। मनुष्य में इस प्रकार का परिवर्तन उसके जन्म से परिपक्व– अवस्था या मृत्यु–पर्यन्त होते रहते हैं। (1) गैंसले के अनुसार विकास एक प्रकार का शारीरिक परिवर्तन हैं जिसके द्वारा बच्चों मे नई विशेषताओं तथा क्षमताओं का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार विकास का अर्थ वातावरण के प्रभावों के कारण होने वाले परिवर्तन हैं। शरीर और मन का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। मन या बुद्धि का विकास मानसिक विकास कहा जाता है। कुछ समय पहले मनोवैज्ञानिकों की यह धारण थी कि प्रत्येक व्यक्ति का बुद्धि स्तर जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी प्रकार रहता है। उसमें कोई परिवर्तन और परिवर्धन नहीं होता। उसकी मानसिक योग्यता के लिए वंश– परम्परा को महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, वातावरण या जीवन के अनुभव का उस पर कोई प्रभाव नहीं माना जाता किन्तु कालान्तर में हुए शोध परिणामेां के फलस्वरूप मानसिक विकास में वातावरण तथा अनुभव का प्रभाव माना जाने लगा। वातावरण का एक रूप हमारा स्कूल है जहां बच्चों के मानसिक विकास की रूप रेखा बनती हैं। शिक्षा का गहरा सम्बन्ध भाषा से है। भाषा, विचार–विनियम का साधन है। और सामाजिक आदान–प्रदान का आधार है। विद्वान हरलॉक के अनुसार दूसरे व्यक्तियेां के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति तथा क्षमता को भाषा कहते है।

मानसिक विकास के लिए भाषा के महत्त्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। मातृभाषा का बच्चों के मानसिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है। दुनिया के प्रायः सभी प्रमुख चिन्तक इस बात की वकालत करते हैं कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चा जन्म से मातृभाषा के माध्यम से अपने वातावरण से परिचित होता है। अपने समाज के बारे में जानने समझने लगता है साथ ही अपना चिन्तन भी उसी भाषा में करता है। इसलिए शिक्षा में जब मातृभाषा को माध्यम बनाया जाता है तो बच्चा वस्तुओं को शीघ्र आत्मसात् कर लेता है। उसके मन में पाठ्य विषय के प्रति शीर्घ ही स्पष्टीकरण होने लगता है और वह सरलतापूर्वक विषय का अनुकरण करते हुए मौलिक चिन्तन भी करने लगता है। इसलिए मानसिक विकास के लिए मातृभाषा के महत्त्व को हम अनदेखा नहीं कर सकते।

बोली और भाषा में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर हैं। बोली में साहित्य उपलब्ध नहीं होता। या यूं कहे बोली जब इतनी विकसित हो जाती है तब वह भाषा कही जाने लगती है। और भाषा बनते ही उसमें साहित्य की रचना की जाती है। इस प्रकार हर भाषा विकसित भाषा होती है। जिस भाषा का जितना अधिक प्रचार–प्रसार होता है, वह उतनी ही विकसित होती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा अपने प्रचार–प्रसार के कारण एक विकसित भाषा का दर्जा हासिल कर चुकी है। कुछ राजनैतिक कारणों के कारण विशाल जनसमुदाय की भाषा होने के बावजूद हिन्दी अंग्रेजी से पीछे हटती जा रही है। किन्तु व्याकरण और शब्द भण्डार में यह अंग्रेजी से कहीं कम नहीं है। वह भी एक विकसित भाषा है, जिसे शिक्षा का माध्यम बना कर इस देश की आने वाली पीढ़ी

को स्वस्थ और उन्नतिशील नागरिक बनाया जा सकता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा है :–

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को सूल।।

शैशावस्था में मानसिक विकास के लिए बच्चों की स्वाभविक क्रियाओं और स्वतन्त्रता मे बाधा नहीं डालना चाहिए। उनकी आत्माभिव्यक्ति के लिए मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही कल्पना के विकास के लिए छोटी–छोटी कविताएं याद कराना चाहिए उनके सामने कौतुहल का वातावरण उपस्थित करना चाहिए ताकि उनमें आरम्भ से अन्वेषण शक्ति की नींव पड़ सके। उन्हें वस्तुओं को देखने, सुनने, छूने, सूंघने आदि के अनेक अवसर प्रदान करना चाहिए।

आत्मप्रदर्शन के लिए बालकों को अपनी भाषा में नाटक वाद–विवाद और अन्य उत्सवों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इस प्रकार अपनी मातृभाषा में बातचीत करने से एक तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, दूसरी तरफ उनमें चिन्तन, तर्कशक्ति का भरपूर विकास होता है। बालकों की बुद्धि को प्रखर और पैनी करने के लिए प्रकृति का निरीक्षण, अजायबघर, चिड़ियाघर, शैक्षिक यात्राओं और ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण कराना चाहिए। अपने विचारों को लिख कर प्रस्तुत करने का अभ्यास डालना चाहिए। पाठशालाओं में विद्यार्थियों को विश्व के मुख्य विषयों विचारों को स्वतन्त्रता से सोचने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इस अवस्था में थार्नडाइक और माइल्स के कथानानुार सीखने कीं शक्ति अपनी चरम अवस्था में पहुंचती है। इसलिए विभिन्न विषयों पर सोचने समझने, चर्चा करने में उनकी मातृभाषा अत्यधिक मदद करती है।

यह सर्वमान्य सत्य हैं कि मानव का विकास भाषा के सहयोग के बिना लाचार था। भाषा व्यक्ति समाज, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए संजीवनी है। अपनी भाषा सभी को मीठी लगती है। उसका छन्द विधान, अलंकार योजना, उपमा, रूपक आदि उसके भोगे हुए जीवन के अत्याधिक समीप होता है। अतः इस साहित्य के अध्ययन से जिस सौन्दर्य की अनुभूति और रस का आनन्द होता है वह बहुत ही स्वाभाविक है। व्यक्तित्व के सर्वागुण विकास के लिए इन अनुभूतियों और रस का आनन्द होता है वह बहुत ही स्वाभाविक है। व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास के लिए इन अनुभूतियों का विकास करना आवश्यक है। मौलिक कल्पना को मूर्त रूप देना ही सृजनात्मकता की पहली सीढ़ी है। जो बच्चे विदेशी भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं उनमें कोई न कोई भाषा सम्बन्धी कठिनाई अवश्य आड़े आती है। वह उसके उड़ान भरने वाले पंखों को काटती है। वह निर्विध्न रूप से अनन्त आकाश में उड़ान भरने में वह अपने को असमर्थ पाता है। मातृभाष का ज्ञान उसके स्वच्छ आकाश में उड़ने में साधन बनता है। यही कारण है कि स्वाभिमानी देश बालकों की शिक्षा–दीक्षा का प्रबन्ध उसकी मातृभाषा में करता है जिसके कारण उसका मानसिक विकास बिना कुण्ठा के होती है। वह अपने व्यक्तित्व से एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सहयोग बनता है।

भाषा के माध्यम से ही मनुष्य विचार और भाव ग्रहण करता है और उसकी अभिव्यक्ति करता है। मानसिक विकास और भाषा का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। जब तक मनुष्य ने भाषा का प्रयोग नही सीखा था, तब तक उसमें विचार शक्ति बहुत सीमित मात्रा में थी। भाषा के विकास के साथ–साथ ही भौतिक और आध्यात्मिक विकास हुआ।

मानसिक विकास के लिए विकसित भाषा का होना आवश्यक शर्त है। भाव और विचार की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क में होती है। विचार की यह उत्पति और विकास भी भाषा के माध्यम से ही होता है – यद्यपि यह भाषा प्रारम्भ में अव्यक्त होती है। भाषा का व्यक्ति, समाज और संस्कृति के विकास में आधारभूत स्थान है।

1.1.6 भाषा का व्यक्ति के विकास में स्थान या समाज से सम्बन्ध

व्यक्ति का सम्बन्ध माता औंर परिवार के माध्यम से समाज के साथ जुड़ता है। प्रारम्भ में रोना और हाथ–पैर हिलाना ही उसके भावों की अभिव्यक्ति का साधन होता है। भाव भी केवल भूख–प्यास, पीड़ा–सुख आदि से

सम्बन्धित होता है। धीरे–धीरे अपने परिवेश के सम्पर्क से वह भाषा का अर्जन करता है। और उसके मस्तिष्क में विचार शक्ति का उदय होता है। भाषा के माध्यम से ही वह बाहरी जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। यदि किसी बालक को मानव–जगत से दूर अकेले में रखा जाए जहां उसे किसी की कोई आवाज़ न सुनाई दे तो न केवल वह गूंगा होगा, अपितु उसकी विचार शक्ति का विकास भी नहीं होगा। मनुष्य पशुओं से यदि श्रेष्ठ है तो अपनी विचार शक्ति के कारण और विचार शक्ति का आधार भाषा है। मनुष्येतर प्राणी अपने स्थूल भावों की अभिव्यक्ति अपनी ध्वनियों या कुछ प्राणी अपने मुख की भंगिमाओं द्वारा करते हैं। किन्तु यह सब अत्यन्त स्थूल स्तर पर होता है और उसमें विचारशीलता का तत्व नहीं होता।

अतः यह स्पष्ट है कि भाषा ही वह माध्यम है जो वाह्रय जगत से जोड़ता है। इसी के द्वारा हमारी वाह्रय जगत के प्रति प्रतिक्रियाएं होती है और हम अपने को अभिव्यक्ति करते हैं। अतः व्यक्ति के विकास में भाषा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उसको नकारा नहीं जा सकता। प्रारम्भ में बालक केवल कुछ शब्दों द्वारा ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्ति करता है। धीरे–धीरे भाषा के अर्जन के साथ–साथ उसे ठीक गलत, वांछित, अवांछित, अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त होता है। आदान–प्रदान की इसी प्रक्रिया में उसमें विचार और तर्क शक्ति का उदय होता है और उसका भावात्मक विकास होता है। भाषा के ज्ञान से ही उसमें सोच समझ की शक्ति का प्रादुर्भाव और विकास होता है। ब्लार्ड का कथन है ''विचार और भाषा एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि दोनों का विकास और ह्यस एक साथ होता है, और भाषा के बिना विचार पैदा नहीं होता।''

बालक के आरम्भिक जीवन में भाषा उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बनती है और बाद में शिक्षा का साधन भी भाषा ही बनती है। अक्षर, शब्द और वाक्य भाषा के विभिन्न अवयवों की जानकारी प्राप्त करते हुए बालक में भाव और विचार ग्रहण करने तथा अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। बालक जहां अपने परिवेश से भाषा के माध्यम से सम्पर्क करता है, वही शिक्षा की प्राप्ति भी इसी के द्वारा करता है। सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्ति का आधार भाषा ही है। गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान इत्यादि सभी विषयों की ज्ञान–प्राप्ति का आधार भाषा ही है। रायबर्न ने लिखा है ''बौद्धिक विकास, ज्ञान वृद्धि, आत्मा की अभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास भाषा के ज्ञान के बिना असम्भव है।'' वास्तव में मनुष्य के सभी क्रियाकलाप भाषा के माध्यम से ही सम्पन्न होते हैं। मनुष्य विचारों का आदान प्रदान सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर करता है।

भाषा बुद्धि के विकास के लिए अनिवार्य है। थॉमसन का मत है, कि, 'भाषा विहीन यथा मूक एवं बधिर बुद्धि परीक्षण में पिछड़ जाते हैं।' पर्ट ने लिखा है कि , 'भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन ही नहीं होते, अपितु भाव विहीन भी हो जाते हैं' भाषा के माध्यम से विचार उत्पन्न होता है और विचार से भाषा का विकास होता है। मनुष्य के सर्वतोमुखी विकास में भाषा का सर्वाधिक महत्व है। भाषा ही मनुष्य को मनुष्य कहलाने की अधिकारी बनाती है। माइकल वेस्ट लिखते हैं कि, 'भाषा ही वह तत्व है जिससे हमारी आत्मा का गठन होता है।

1.1.7 सारांश :

विचार और भाषा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोचना और बोलना, सोचना और लिखना साथ–साथ समानान्तर रूप में चलते हैं। मनोवैज्ञानिक बुडवर्थ का मत है, 'जिस समय हम सोचते हैं, हमारी जिह्वा/ तालू आदि गतिशील होते हैं। यद्यपि कोई आवाज पैदा नहीं करते। हम कह सकते हैं कि विचार मूक भाषा है और भाषा भाव–विचार की मुखर अभिव्यक्ति। बालक में भाषा और विचार का समानान्तर विकास होता है। भाषा का मानसिक विकास में अनन्य योगदान है। रायबर्न के मतानुसार ''बौद्धिक विकास, ज्ञानवृद्धि, आत्मभिव्यक्ति

और रचनात्मक शक्ति का विकास भाषा ज्ञान के बिना असम्भव है। भावात्मक जीवन का विकास भी मातृभाषा की शिक्षा पर ही निर्भर है।''

1.1.8 स्वयं जांच अभ्यास

1. भाषा के दो रूप..........................और......................है।
2. भाषा के दो विविध रूप..............................और.........................है।
3. भाषा का अर्जुन.......................से होता है।

उत्तर :

1. उच्चरित, लिखित
2. मूल भाषा, मातृभाषा
3. अनुकरण

1.1.9 अभ्यास के लिए प्रश्न

(i) भाषा से क्या अभिप्राय है? इसकी प्रकृति स्पष्ट करें।

(ii) भाषा के अनेक स्वरूपों का वर्णन करें।

(iii) भाषा का महत्व अपने शब्दों में लिखो।

1.1.10 सहायक पुस्तकें :

1. हिन्दी शिक्षण – डा. जय नारायण कौशिक हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़।
2. हिन्दी भाषा शिक्षण – भाई योगेन्द्रजीत, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. आधुनिक हिन्दी शिक्षण – डा. जसबन्त सिंह जस न्यू बुक कम्पनी, भाई हीरा गेट, जालन्धर।
4. हिन्दी शिक्षण – केशव प्रसाद धनपत राय एण्ड सन्स, नई सड़क, दिल्ली।

पाठ नं॰ 1.2 **मधु नरुला**

भाषा का माध्यम भाषा के रूप में प्रयोग-एक आलोचनात्मक दृष्टि

1.2.1 उद्देश्य
1.2.2 प्रस्तावना
1.2.3 भाषा माध्यम के रूप में एक आलोचनात्मक दृष्टि
1.2.4 शिक्षा के माध्यम के लिए सुझाव
1.2.4.1 अंग्रेजी भाषा के पक्ष में तर्क
1.2.4.2 अंग्रेजी भाषा के विपक्ष में तर्क
1.2.4.3 हिन्दी भाषा के पक्ष में तर्क
1.2.4.4 हिन्दी भाषा के विपक्ष में तर्क
1.2.5 प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा
1.2.5.1 मातृभाषा के पक्ष में तर्क
1.2.5.2 मातृभाषा के विपक्ष में तर्क
1.2.6 सारांश
1.2.7 स्वयं जांच अभ्यास
1.2.8 अभ्यास के लिए प्रश्न
1.2.9 सहायक पुस्तकें

1.2.1 उद्देश्य : इस अध्याय के पढ़ने के उपरांत विद्यार्थी

(i) समाज में भाषा के महत्व का वर्णन कर पाएंगे।
(ii) हिन्दी भाषा एवं शिक्षा का माध्यम में अंतर का ज्ञान हो पाएगा।
(iii) शिक्षा का माध्यम – प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा : के पक्ष व विपक्ष में विचार प्रस्तुत कर पाएंगे।

1.2.2 प्रस्तावना

मानव को ईश्वर ने सबसे महत्त्वपूर्ण वरदान चिंतन–शक्ति और भाषा दिए हैं। भाषा का मनुष्य के साथ अटूट सम्बन्ध है। मनुष्य के जीवन में इसका बहुत अधिक महत्त्व है। मनुष्य के व्यक्तित्व का कोई रूप ऐसा नहीं, जहाँ भाषा की पहुँच न हो। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में भाषा का इतना हाथ है कि आज की कहानी को सभ्यता की कहानी कहा जाता है।

पं॰ सीताराम चतुर्वेदी का यह कथन कितना सार्थक है –

"भाषा के आर्विभाव (उत्पन्न) से सारा मानव संसार गूँगों की विराट बस्ती बनने से बच गया।"

मानव जीवन में भाषा का महत्त्व निम्न तथ्यों से आँका जा सकता है :–

1. **भावों और विचारों को सुरक्षित रखने का साधन :** जीवन में भाव और विचार बहुत महत्त्वपूर्ण है। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं भावनाओं को तथा दूसरों के विचारों और भावनाओं को लिखकर सुरक्षित कर सकते हैं। इससे यह विचार और भावनाएँ भविष्य की पीढ़ी के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। भाषा के द्वारा ही साहित्य, संस्कृति और सभ्यता, मान्यताओं का संरक्षण सम्भव है। सामाजिक जीवन के विकास के लिए साहित्य का शिक्षण आवश्यक होता है।

2. **व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिक अभिव्यंजना :** विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति से व्यक्तित्व का विकास होता है। भाषा ही अभिव्यक्ति का अत्यंत महत्त्वपूर्ण साधन है। वस्तुतः मनुष्य के व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास भाषा के प्रभावशाली प्रयोग पर ही निर्भर है। भाषा से ही व्यक्ति का सर्वोत्तन्मुखी विकास संभव है।

3. **ज्ञान प्राप्ति का साधन :** पूरा समाज ज्ञान से भरा पड़ा है और ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भाषा के द्वारा ही प्राचीन ज्ञान शास्त्रों के रूप में सुरक्षित है। आज जितना भी सामान्य और प्राकृतिक ज्ञान है वह भाषा के द्वारा ही सुरक्षित रखा जा सका है। भाषा के लिपिबद्ध रूप में सुरक्षित ज्ञान भंडार ही ज्ञान प्राप्ति का साधन है।

4. **संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण एवं विकास में सहायक :** एक पीढ़ी से ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना आवश्यक है। अपनी–अपनी संस्कृति को सम्भालना अति आवश्यक है क्योंकि संस्कृति समाज, जाति, राष्ट्र विशेष की पहचान होती है। संस्कृति का संरक्षण केवल भाषा के द्वारा ही संभव है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसका अनुकरण कर सकें। विभिन्न क्षेत्रों की पुस्तकों के अध्ययन से, आदान–प्रदान के माध्यम से संस्कृति का विकास सम्भव है।

5. **राष्ट्रीय एकता का सूत्र :** राष्ट्र की एकता किसी समाज का प्राण है और भाषा जनसामान्य के बीच विचारों के आदान–प्रदान, विचार–विनिमय का सशक्त एवं सार्थक साधन होती है, जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को निकट लाकर एकता के सूत्र में बाँधती है। प्रत्येक देश की भाषा उसकी सभ्यता और संस्कृति को प्रतिबिम्बित करती है। भाषा ही राष्ट्रीय एकता को मज़बूत आधार प्रदान करती है।

6. **अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना में सहायक :** ऋषियों–मुनियों द्वारा दिया गया 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के घोष का महत्त्व है। यह हमारी संस्कृति का आधार है। सामाजिक, जातीय और राष्ट्रीय एकता के विकास के साथ–साथ भाषा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना में भी सहायक है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्भरता में बहुत अधिक वृद्धि की है। भाषा ने भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्भरता में वृद्धि की है। भाषा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने का सर्वशक्तिमान माध्यम है।

7. **शिक्षित समाज और भाषा अन्योश्रित :** समाज में शिक्षित होकर जीना एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। जैसे मनुष्य का विकास हुआ, ज्ञान प्राप्ति के साधन भी

विकसित होने लगे हैं आधुनिक आवष्किारों ने ज्ञान प्राप्ति की सीमाओं से आगे लांघने का प्रयत्न किया है। चाहे ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान प्राप्ति का प्राकृतिक स्रोत है, परंतु इनका ज्ञान सीमित होता है। इसलिए मनुष्य कुछ नए साधनों का भी प्रयोग करता है। इनमें से मूल साधन 'भाषा' है। भाषा के बिना शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं।

8. **आनन्द और मनोरंजन का स्रोत :** हर व्यक्ति तनाव से मुक्त हो कर आनन्द की तलाश में रहता है और समाज के लिए भाषा मनुष्य के मन को शांति और आनंद की अनुभूति का अहसास कराती है। साहित्य में मनुष्य की रागात्मक वृत्तियाँ सुरक्षित रहती हैं और उसे आनन्द की प्राप्ति होती है तथा उसका मनोरंजन होता है। भाषा से ही आनन्द एवं सामाजिक विकास संभव है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारे लिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भाषा का मनुष्य, समाज एवं राष्ट्र के लिए बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण तथा लाभप्रद है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम निष्कर्ष रूप कह सकते हैं–

1. भाषा उत्तम नागरिक बनने की प्रेरणा देती है।
2. भाषा शारीरिक विकास में सहायक है।
3. भाषा मानसिक और बौद्धिक विकास करती है।
4. लोकतांत्रिक विकास में सहायक है।
5. सामाजिक एवं जातीय एकता में सहायक है।

1.2.3 भाषा माध्यम के रूप में एक आलोचनात्मक दृष्टि

जैसे ही भारत स्वतन्त्र हुआ, भारतीय शिक्षा के पुनर्निर्माण क्षेत्र में शिक्षाविद् और शिक्षा व्यवस्थित करने वालों के सम्मुख शिक्षा के माध्यम की यह समस्या सामने आई कि माध्यमिक स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम कौन–सा उपयुक्त रहेगा ? पाश्चात्य मिशनरियों और अंग्रेज़ी शासकों ने भारत और सांस्कृतिक आधिपत्य जमाने तथा प्रशासन के निमित्त अंग्रेज़ी भाषा भारतवासियों पर थोपी थी। ***लार्ड मैकाले*** ने साफ़ शब्दों में कहा था कि भारतीयों का ऐसा वर्ग बनाया जाए, जो रंग और रक्त से चाहे भारतीय हों, किन्तु वह रुचियों, विचारों, नैतिक मूल्यों, बुद्धि तथा समता की दृष्टि से अंग्रेज़ों जैसा हो। यह वर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी अंग्रेज़ी शिक्षा को जनता में फैलाता रहेगा। मैकाले का यह स्वप्न सत्य निकला। अंग्रेज़ी ही मानों हमारे लिए सब कुछ हो चली है। आज अंग्रेज़ी भाषा शासन की, संचार की भाषा एवं शिक्षा के माध्यम की भाषा बन चुकी है। ऐसी अवस्था कब तक चलेगी ? हमारे सविधान में 15 वर्ष के भीतर हिन्दी को अंग्रेज़ी भाषा का स्थान देना निश्चित हुआ था। शासन में ऐसा होना अनिवार्य था, परन्तु शिक्षा में यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

1.2.4 शिक्षा के माध्यम के लिये सुझाव

1. शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होना चाहिए।
2. शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो।
3. शिक्षा का माध्यम प्रदेशिक/मातृभाषा हो।

1.2.4.1 माध्यम : अंग्रेजी भाषा के पक्ष में तर्क

इस मत के पक्ष में बहुत–से विद्वान हैं, उनके अपने तर्क और युक्तियाँ हैं।

1. **अंग्रेजी भाषा में उच्च वैज्ञानिक विचार :** आधुनिक युग भौतिकवादी युग है। इस युग में जितनी भी हमारी भौतिक सुख समृद्धियाँ सम्भव हैं, वह अंग्रेज़ी से है। अन्य भाषा इसका स्थान नहीं ले सकतीं।

2. **श्रेष्ठ दार्शनिक विचारों की वाहक : अंग्रेज़ी** : अंग्रेजी को ही दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अंग्रेज़ी विद्वानों के अनुसार पाश्चात्य भाषा का दर्शन श्रेष्ठ है जो कि अंग्रेज़ी ज्ञान के बिना सम्भव नहीं। श्रेष्ठ ज्ञान को सीखने व समझने का साधन भी यही है।

3. **अन्तर्राष्ट्रीय महत्व :** विश्वीकरण की दृष्टि से हमें अंग्रेज़ी भाषा को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि अंग्रेज़ी पढ़ने वाले कभी समाज के किसी कोने में असफलता का मुँह नहीं देख सकते, क्योंकि हर देश में इसके महत्व को स्वीकार किया जा रहा है।

पुस्तकें लिखने वालों की प्रवृत्ति भी अंग्रेज़ी भाषा में लिखने की ओर है, अतः अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना कर इन पुस्तकों का उपयोग किया जा सकता है।

4. **राष्ट्रीय एकता में सहायक :** अंग्रेज़ी के व्यापक प्रयोग से, भारतवासियों के परस्पर संपर्क बढ़ने में, भूगोलिक सीमाओं को तोड़ने में सफलता मिल रही है। इसलिए यह राष्ट्रीय एकता में सहायक है।

5. **शैक्षणिक एवं साहित्यिक महत्व** : आज जब से ग्लोबलाईजेशन का युग प्रारम्भ हुआ है, तब से उच्च शिक्षा को पाने के लिए विदेशों में जाने की होड़ भी विद्यार्थियों को मजबूरन अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अंग्रेज़ी साहित्य ने विश्व के अन्य साहित्य को भी प्रचुर मात्रा में प्रभावित किया है।

6. **व्यापारिक महत्व** : शिक्षा और व्यापार का सीधा सम्बन्ध है। एक व्यापारी के लिए जहाँ शिक्षा आवश्यक है, वहीं उसे अपने व्यापार को अपने राष्ट्र और विदेशों में बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ी माध्यम के रूप में अपनाने की आवश्यकता है इस भाषा को आधार बनाकर अपने व्यापार को स्थायित्व और मज़बूत रख सके। अंग्रेज़ी माध्यम से उनकी मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को सम्पुष्टता मिलेगी।

7. **पारिभाषिक शब्द** : अंग्रेज़ी में पारिभाषिक शब्दों का अतुल्य भण्डार है। यदि विद्यार्थी अंग्रेज़ी भाषा को माध्यम रखेंगे तो इनको शीघ्रता से समझ पाने में सक्षम होंगे। यूँ भी भारतीय भाषाओं में पूरी तरह से यह कार्य सम्पादित नहीं हो सका है।

8. **'अंग्रेज़ी' भारत में सम्पर्क के रूप में** : अंग्रेज़ी का प्रयोग समूचे भारत में होता है। दक्षिण भारत में जहाँ हिन्दी उनके लिए कठिन ही, नहीं बल्कि अप्रयोगात्मक भी लगती है, वहीं अंग्रेज़ी को वह अपनी भाषा के रूप में स्वीकारते हैं।

9. **अंग्रेज़ी की अपेक्षा हिन्दी सीखना एक बोझ** : जो व्यक्ति अंग्रेज़ी सीखे हुए परिवार से सम्बन्धित थे, अंग्रेज़ी सीखना उनके लिए सहज और स्वाभाविक था और वो ही लोग अंग्रेज़ी को माध्यम और इसे राष्ट्रभाषा के रूप में बनाने के इच्छुक थे। वे हिन्दी सीखने के बोझ को स्वीकार नहीं करना चाहते थे।

10. **विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेज़ी का महत्त्व** : आज का विद्यार्थी जो कि कल का भविष्य है तथा जो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में जाकर अपने आविष्कारों द्वारा भारत को उन्नति के शिखर पर पहुँचा सकता है, उनके सपनों को साकार करने का एकमात्र माध्यम अंग्रेज़ी है।

11. **इंटरनेट की भाषा** : कम्प्यूटर द्वारा इन्टरनेट का विकास अंग्रेज़ी भाषा के विकास से इस तरह जुड़ गया है। इंटरनेट पर अंग्रेज़ी भाषा का एक एकछत्र राज्य है। आज विश्व के कम्प्यूटरों में 70% सूचनाएँ अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से होती हैं।

1.2.4.2 अंग्रेजी भाषा के विपक्ष में तर्क

1. **विदेशी भाषा में ज्ञान प्राप्ति का सरल नहीं:** यदि इस समस्या पर गम्भीरता से पक्षपात शून्य होकर विचार करें तो सत्य तो यह है कि एक विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम रखने में कोई समझदारी नहीं है। शिक्षण–विधि की दृष्टि से विदेशी भाषा में शिक्षा देना व्यर्थ है, क्योंकि यह एक बोझ होगा। प्रायः बुद्धिमान विद्यार्थी भी विदेशी भाषा की कठिनाईयों के कारण शिक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। भारत में अंग्रेज़ों के 150 वर्षों के शासन में सिर्फ कुछ ही लोग अंग्रेज़ी का ज्ञान पा सके थे।

2. **जनमानस की भाषा:** नहीं बन सकी यदि भारतीयों की संस्कृति और जीवन उद्देश्यों और मान्यताओं के साथ ये भाषा चलती, तो भारतीय समाज के गले का हार बनती, जबकि उस समय में यह भाषा प्रशासन और सामान्य सार्वजनिक जीवन में प्रभावी बनने की कोशिश में रही।

विदेशी भाषा को माध्यम बनाने का एक और कारण है कि जो लोग अंग्रेज़ों के चाटुकार व पिट्ठु बनते रहे हैं, वह प्रशासन की बागडोर सम्भाल कर अंग्रेज़ों को न केवल खुश करने में बल्कि अंग्रेज़ी समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के उद्देश्य को लेकर चलते रहे है।

3. **विदेशियो द्वारा भारतीय भाषाओं की प्रशंसा:** जो लोग उच्च विचारों की जननी कहकर अंग्रेजी माध्यम को अपनाने के पक्ष में हैं, वे भूल चुके हैं कि इसके लिए हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत अधिक श्रेष्ठ है और संस्कृत से उत्पन्न बहुत सी भाषाएँ इस क्षेत्र में बहुत उपयोगी हैं और समाज को भली–भाँति दिशा प्रदान कर रही हैं। संस्कृत भाषा भारत की ही नहीं संसार की प्राचीनतम भाषा है। **'मैकसमूलर'** द्वारा **'वैदिक साहित्य'** की व्याख्या, **'सर चार्ल्स विलकिन्स'** द्वारा **श्रीभगवद् गीता का अंग्रेज़ी** अनुवाद संस्कृत के महान ग्रंथों की जय बोलता है।

4. **भारत सरकार के प्रयास हिन्दी भाषा में पुस्तकों के लिए:** अंग्रेज़ी में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धि का दावा भी पूर्ण सत्य नहीं है। स्वतन्त्रता से पहले हिन्दी में ऐसी कमी रही है परन्तु संविधान में 15 वर्ष के अन्दर हिन्दी को अंग्रेज़ी स्थान देने के प्रयास में बहुत सी

पुस्तकें लिखी गईं और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, परिषद, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तथा भारत सरकार इस कार्य के लिए विशेष प्रयास कर रही है।

5. **अमनोवैज्ञानिकता:** एक ओर आरोप हम पर यह है कि यदि शिक्षा का माध्यम हम अंग्रेज़ी बच्चों पर थोपते हैं, तो यह बच्चे की मनः स्थिति के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि बच्चा माँ की गोद से जो भाषा सीखता है निस्सन्देह उसी भाषा में उसकी अभिव्यक्ति सहज और सरल होती है। अतः अंग्रेज़ी थोपना अमनोवैज्ञानिक होगा और उनके बौद्धिक विकास में बाधक भी होगा।

उपर्युक्त विचार विमर्श से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब अंग्रेज़ी अभिव्यक्ति का सरल साधन नहीं बन सकती तो हम प्राथमिक कक्षाओं में ही शिक्षा को माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी को अपनाने पर क्यों दबाव बना रहे हैं ? वास्तविकता तो यह है कि अंग्रेज़ी अपनाने का आग्रह अस्वाभाविक है।

1.2.4.3 हिन्दी भाषा के पक्ष में तर्क

यदि हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए तो यह अधिक सार्थक और राष्ट्रहित के लिए होगा।

1. **अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक** : यदि किसी विद्यार्थी या अध्यापक को किसी कारणवश अन्य प्रदेश में जाकर रहना पड़े, तो उन्हें हिन्दी माध्यम होने के कारण शिक्षा देने और ग्रहण करने में कोई असुविधा नहीं होगी। कई बच्चों के अभिभावकों को केन्द्रीय दफ़्तरों में नौकरी के स्थानान्तरण के कारण बच्चों का विद्यालय या महाविद्यालय बदलना पड़ता है, परंतु ऐसे बच्चों को कोई असुविधा नहीं होती, जिनका माध्यम हिन्दी होता है।

2. **व्यक्तित्व के विकास में सहायक** : यदि हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए तो यह विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा। स्वाभाविक रूप से की गई आत्माभिव्यक्ति से मन निखरता है।

3. **सामाजिक समानता** : कौन सी भाषा श्रेष्ठ है और कौन सी नहीं ? इस विवाद का प्रश्न पैदा नहीं होगा यदि हिन्दी को सामाजिक समानता के अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा। एक बहुभाषी समाज में कोई भी व्यक्ति भाषा के आधार पर पद प्रतिष्ठा नहीं पा सकेगा। हिन्दी माध्यम होने से कुछ क्षेत्रीय भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बुंदेलखण्डी अपने अस्तित्व की मांग होने पर भी उनकी निष्ठा हिन्दी से ही जुड़ी है वे हिन्दी को समर्पित हैं।

4. **राष्ट्र एकता में सहायक** : हिन्दी सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा है। हिन्दी राष्ट्र–भाषा होने के नाते सभी भारतवासियों को एकात्मक तथा भावात्मक सूत्र में पिरोती है। इस बात के लिए सभी विद्वानों का मानना है कि निश्चित ही भाषा की उन्नति से राष्ट्र की एकता स्थापित हो सकती है।

अंग्रेजी से हम राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि भावात्मक अभिव्यक्ति अपनी भाषा में होती है राष्ट्रीय भाव राष्ट्रभाषा से होते हैं तो हिन्दी इसकी अधिकारिणी है।

5. **वैज्ञानिक भाषा** : हिन्दी भाषा में यह गुण है कि ध्वनि और लिपि में साम्य होने के कारण उसे बोलना तथा लिखना सरल है। हिन्दी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित संकेत है, इसमें जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है, ये अक्षरात्मक है। हिन्दी वैज्ञानिक विधि से सीखी जा सकती है। हिन्दी का ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य संरचना, इत्यादि सभी सरल और बोधगम्य है।

6. **व्यवहारिक प्रयोग** : आज तकनीकी माध्यमों ने, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्में इत्यादि ने इसको व्यावहारिक बनाने में बहुत अधिक भूमिका निभाई है। अधिकांश चैनल, अधिकांश कार्यक्रम हिन्दी में प्रसारित किए जाते हैं। सभी भारतवासी उन्हें सुनते व देखते हैं और उनके लिए हिन्दी को समझना बड़ा सरल बन चुका है। यहाँ तक कि मोबाइल फोन पर संदेश भेजने के लिए हिन्दी का प्रयोग होता है। जल्दी ही लिपि भी हिन्दी होने लगेगी। इंटरनेट की भाषा के लिए हिन्दी विकसित हो रही है। सफलतापूर्वक 100 वैबसाइट तो चल रहे हैं। दूसरे देशों में भी फिल्मों के माध्यम से हिन्दी ने अपने पैर पसार लिए हैं। फिर भी हम हिन्दी माध्यम के रूप को चुनने में आशंका करते हैं।

7. **साहित्यिक महत्व** : भारतीयदर्शन के अधिकतर अंश हिन्दी भाषा में सुरक्षित हैं। हिन्दी का अपना समृद्ध साहित्य है। प्रसिद्ध कवियों और लेखकों जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति, जायसी, कबीर, तुलसी, मुंशी प्रेमचंद, सेनापति, मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा आदि ने भी हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना–अपना योगदान दिया है। उनके भाव तथा विचार समूचे मानव–समाज के लिए अनमोल सम्पदा हैं, यदि हिन्दी के ऐसे अमूल्य साहित्य को जनता तक पहुँचाते हैं, तो हिन्दी को माध्यम के रूप में अपनाना होगा। वरना ये व्यापक साहित्य तथा महान भाव तथा विचार आम जनता तक न पहुँच कर चन्द कागज़ के टुकड़े बन कर रह जायेंगें। हिन्दी साहित्य की देश–विदेशों में अत्याधिक धूम मची है।

8. **सुगमता की दृष्टि से महत्व** : इस दृष्टि से निम्नलिखित महत्व हैं –
   - केन्द्र सरकार को एक ही भाषा में पाठ्य पुस्तक को बनाना होगा, जिससे वित्तीय बोझ नहीं होगा।
   - समस्त भारत के लिए पाठ्यक्रम और स्तर भी एक समान होगा।
   - शिक्षा में अनुसंधान, शोध–कार्य आदि के लिए भी भिन्न–भिन्न प्रांतों से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
   - अहिन्दी भाषी प्रदेशों के विद्यार्थियों को रोज़गार के समान अवसर मिलेंगे।

1.2.4.4 हिन्दी भाषा के विपक्ष में तर्क

भारत की अन्य प्रदेशिक भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी में अंग्रेजी भाषा का स्थान लेने की क्षमता है, परन्तु हिन्दी के विपक्षियों ने हिन्दी के विरोध में कुछ बातें कहीं हैं।

1. **पारिभाषिक शब्दावली की कमी :** पहला आक्षेप पारिभाषिक शब्दावली को लेकर किया जाता है कि हिन्दी इसमें पिछड़ी है, परन्तु इस कार्य के लिए बहुत से साहित्यकार बड़े परिश्रम से इस कार्य को सम्पन्न करने में जुटे हुए हैं।

(i) केन्द्रीय सरकार ने प्रशासकों, न्यायविदों, समाजशास्त्रियों, वैज्ञानिकों से परिभाषिक शब्दों की सूची प्रकाशित करवा ली है।

(ii) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की सभी शाखाएँ इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही हैं तथा प्रोत्साहित कर रही हैं। यह कार्य विकास की ओर अग्रसर हैं।

(iii) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने भी इस काम में पूरी रुचि दिखाई है अतः महाविद्यालय स्तर के सभी पारिभाषिक शब्द हिन्दी में प्रयुक्त हो रहे हैं।

(iv) संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि ये पारिभाषिक शब्द संस्कृत भाषा से मूल रूप में लिए गए हैं अथवा धातुओं, उपसर्गों और प्रत्ययों से बना लिए गए हैं। उदाहरण 'धि' धातु से ही विधि, विधान, संविधान विधेयक, वैधानिक, अवैध आदि 80 शब्दों का निर्माण हुआ है।

2. **शिक्षक की कर्तव्य विमुखता** : कई विद्वानों के अनुसार अध्यापक हिन्दी से अनभिज्ञ हो रहे हैं और वह अपने कार्य को उस भावना से नहीं निभा पा रहे हैं, जितना उन्हें निभाने की आवश्यकता है।

यदि अध्यापक इच्छा रख कर प्रयत्न करे तो कालांतर में हिन्दी को अधिक सम्मान मिलेगा। यह जन–जन की भाषा बनेगी।

3. **पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों का अभाव** : जहाँ हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, वहीं हिन्दी के लिए प्रशिक्षित, सुयोग्य शिक्षकों का मिलना दुष्कर कार्य है। हिन्दी शिक्षकों की कमी के कारण हिन्दी में पुस्तकों का लेखन कार्य अंग्रेज़ी भाषा की अपेक्षा कम है। इसके लिए भारत सरकार को आगे आने की आवश्यकता है।

4. **संस्कृत गर्भित भाषा** : कुछ आपत्तियाँ है कि हिन्दी को संस्कृत गर्भित बना कर इसे कठिन बना दिया गया, विशेषकर पारिभाषित शब्दों को सहज ही कण्ठस्थ कर लेना मुश्किल कार्य है। जिसके परिणामस्वरूप सामान्य लोगों के लिए इसे सहज ही समझ लेना कठिन हो गया है। उदाहरण के रूप में बाईसाईकल के लिए द्विचक्र, रेल के लिए लोहपथ–गामिनी इत्यादि शब्द मज़ाक का विषय भी बन जाते हैं। इस तरह के जो दैनिक प्रयोग में शब्द आते हैं उनको बदलना भी उचित प्रतीत नहीं लगता।

1.2.5 प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा शिक्षा का माध्यम

मातृभाषा का सरल अर्थ है – जो बच्चे की माँ भाषा होती है। स्वतन्त्रता–प्राप्ति के पश्चात भारत में जब शिक्षा के माध्यम पर प्रश्न चिन्ह लगा, तो बहुत–से विद्वानों का यही परामर्श था, बच्चा अपनी माँ की गोद में जो भाषा सीखता है, वही भाषा की अभिव्यक्ति सहजता से कर सकता है। माता–पिता या परिवार के सदस्यों से अनुकरण द्वारा सीखी और सहज बोली का परिष्कृत रूप 'मातृभाषा' कहलाती है। यह समाज स्वीकृत मानक भाषा होती है। मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो, इसकी चर्चा से पहले उसके अर्थ पर विचार करें।

1.2.5.1 मातृभाषा के पक्ष में तर्क

1. **मानसिक विकास में सहायक** : मानसिक विकास और मातृभाषा का अटूट सम्बन्ध है। मन में उठने वाले विचार भाषा को जन्म देते हैं। और जिस व्यक्ति के पास जितनी सशक्त भाषा होगी, उतनी ही सशक्त उसकी विचारशक्ति होगी। ***गांधी जी*** इसी कारण बालक के मानसिक विकास की दृष्टि से मातृभाषा द्वारा शिक्षा पर बल देते थे – "मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है, जितना कि बच्चे को शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। बालक पहला पाठ अपनी माता से ही पढ़ता है, इसलिए उसके मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा लादना, मैं मातृभूमि के विरुद्ध समझता हूँ।"

2. **बौद्धिक विकास तथा चिन्तन में सहायक** : वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि भाषा का हमारी बुद्धि एवं विकास से अटूट सम्बन्ध है। भाषा के बिना हमारी बुद्धि की सक्रियता कम होती है, क्योंकि चिन्तन की क्रिया होती नहीं है। ज्ञानार्जन जितनी सुगमता से मातृभाषा के माध्यम से होता है। उतनी सरलता से और किसी दूसरी भाषा के माध्यम से नहीं। मातृभाषा में प्राप्त किया हुआ ज्ञान सरलता से आत्मसात हो सकता है, उसके परिणामस्वरूप विचार शक्ति से मानसिक प्रक्रिया भी होती है, जिससे विद्यार्थी चिन्तन कर सरलता से अपने विचार प्रस्तुत करता है।

3. **मातृभाषा भावाभिव्यक्ति में सहायक** : मातृभाषा में आत्म प्रकाशन कोई बोझ न होकर सहज, स्वाभाविक लगता है, वैज्ञानिकों के अनुसार नवजात शिशु अपने मस्तिष्क में आसपास के वातावरण से ध्वनि इकाइयों को संग्रहित करता है, जिनके सहारे वह नई शब्दावली सीखता है और उच्चारण तथा अर्थों को स्नायुकोषों में अंकित करता जाता है।

4. **मातृभाषा सामाजिक विकास में सहायक** : मनुष्य की सामाजिकता तभी पूर्ण होती है, जब वह मातृभाषा के माध्यम से विचारों का आदान–प्रदान करता है। मातृभाषा से वे परस्पर भावों विचारों को और हर प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में चाहे त्योहार, सुख–दुःख, उत्सव, सभाएं, मेले, खरीददारी, मेल–मिलाप हो, में प्रकट करना पसन्द करते हैं। अन्य भाषा में नहीं।

5. **मातृभाषा ज्ञानवृद्धि में सहायक** : ज्ञान का पहला अर्जन माँ की गोद से प्राप्त होता है। माँ की गोद में ही प्रथम ध्वनि मातृभाषा में उच्चरित लोरियाँ सुनाई देती हैं। अतः उत्तरोत्तर व्यक्ति की मातृभाषा विकसित होती है। वह एक विशाल ज्ञान का अर्जन स्वाभाविकता से कर पाता है। जितना सहज होकर व्यक्ति मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करता है, उतना अन्य भाषा में नहीं।

6. **मातृभाषा द्वारा सांस्कृतिक विकास** : किसी भी प्रदेश की मातृभाषा में वहाँ की संस्कृति निहित रहती है। मातृभाषा से अपनी संस्कृति की मान्यताएं, रीति–रिवाज़, कला आदि को बड़ी सुलभता से पढ़ा और समझा जा सकता है। यदि हम भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं तो हिन्दी को जानना होगा। मातृभाषा से जुड़े साहित्य को पढ़ने के पश्चात हम अपनी मातृभूमि को वन्दीय मानते हुए धरती और परिवेश के सहसम्बन्धी हो जाते हैं।

7. **मातृभाषा भावात्मक विकास में सहायक** : जहाँ पर बालक मातृभाषा का प्रयोग करता है,

चाहे मित्र मण्डली, सगे सम्बन्धियों में, वहाँ उसका भावात्मक सम्बन्ध जुड़ जाता है, वहाँ वह अपने आपको सहजता व स्वाभाविकता में पाता है। मातृभाषा में साहित्य पढ़ना सुख–दुःख, निराशा–आशा, हर्ष–विनोद, रोचकता–अरोचकता जनजीवन के सभी पहलुओं को प्रकट करना सहज हो जाता है। भावात्मक भाषा की अभिव्यक्ति मातृभाषा में ही हुआ करती है। विदेशी या अन्य भाषा अच्छी प्रकार से सीखने के बावजूद भी हमारे भावों को उद्वेलित नहीं कर सकती।

8. **मातृभाषा में सृजनात्मकता का विकास** : मातृभाषा बालक में स्वतंत्र चिन्तन एवं मौलिक अभिव्यक्ति का विकास करती है। मौलिक साहित्य मातृभाषा में ही सम्भव है। किसी अन्य भाषा में लिखा जा सकता है, परन्तु मौलिकता मातृभाषा में नहीं आएगी। मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करना तथा अध्ययन करते रहने से, तथा लम्बे समय के साहचर्य से सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है।

9. **शिक्षा की आधारशिला** : मातृभाषा में विचार विनियम की सरलता होने के कारण इसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। बच्चा उसे आसानी से समझ लेता है। सभी विषयों को समझने में कोई कठिनाई नहीं आती है। अन्य भाषा द्वारा सहजता से शिक्षा ग्रहण करना दुष्कर कार्य लगता है। इसके लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है।

1.2.5.2 मातृभाषा/प्रादेशिक भाषा के विपक्ष में तर्क

अग्रेज़ी भाषा के विपक्षियों तथा कुछ विद्वानों ने प्रादेशिक भाषा का समर्थन तो किया, परन्तु इसके लिए भी कुछ आक्षेप हैं। यदि हम प्रान्तीय आधार पर शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा रखेंगे, तो समाज की सीमाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षा प्रदान करने तथा अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें एक भाषा की सीमा में न बंध कर पूरे राष्ट्र–हित में जो आवश्यक है, उसी के अनुसार फैसले लेने की आवश्यकता होगी। जब संसार में विश्वीकरण बढ़ रहा हो, तब केवल प्रान्तवाद से जुड़े रहना हितकर न होगा। विश्व स्तर पर तो क्या, यहाँ तक कि एक प्रान्त दूसरे प्रान्त के पठन–पाठन का कार्य भी नहीं कर सकेंगे।

1. प्रत्येक प्रान्त में प्रत्येक विषय के लिए पृथक–पृथक साहित्य का निर्माण करना पड़ेगा। यह दुष्कर कार्य होगा। इससे कितना शक्ति का हास और समय नष्ट होगा। यह एक सोचने वाली बात है। सरकार के पास पहले से ही धन नहीं है न ही इतनी शक्ति।
2. दक्षिण भारत में तो पहले से ही हिन्दी भाषा के विरोधी रहे हैं। भाषा के आधार पर प्रांतीय विभाजन होगा। देश का एक भाग तो कटा–सा प्रतीत होगा और हिन्दी से वह पूरी तरह अनभिज्ञ भी रहेंगे या अल्प ज्ञान रखेंगे।
3. प्रादेशिक भाषाओं की सीमाओं में रहने के कारण विद्यार्थी को दूसरे प्रदेश स्थान पर जाकर जीवनयापन करना कठिन हो जाएगा।
4. अंग्रेज़ी के हटाने से अंग्रेज़ी के पारिभाषिक शब्द सभी प्रान्तीय भाषाओं में अनुवादित करने पड़ेंगे, जोकि सुगम कार्य नहीं। प्रादेशिक भाषा में यह कार्य करने में कितना समय और शक्ति लगेगी, अभी तो हिन्दी में यह कार्य पूरी तरह से सम्पादित नहीं हो पाया है। प्रादेशिक भाषा के लिए यह कितना मुश्किल होगा। इसे भली–भाँति समझा जा सकता है।
5. प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का अर्थ है – भारत को खण्ड–खण्ड करना,

क्योंकि भाषा ही है जो दिलों को जोड़ती है। यह भावात्मक एकता पैदा करती है। यदि किसी अमेरिका में रहने वाले पंजाबी को यहाँ का पंजाबी व्यक्ति मिल जाता है तो भावात्मक स्तर पर उसका हृदय हिलोरे लेने लगता है। प्रेम भाव, करुणा, उमड़–उमड़ आती है। परन्तु इस स्थिति में यदि भारत में प्रादेशिक भाषा माध्यम के रूप में स्वीकारते हैं तो भारतीय कौन होगा ? पंजाबी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी तो मिल जाएँगे और भारतीयता खत्म हो जाएगी। यह है शिक्षा का माध्यम अभी तक निश्चित नहीं हो सका है। इसके लिए विद्वानों को निष्पक्ष होकर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। शिक्षा के किस स्तर तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम रखा जाए और अंग्रेज़ी की क्या स्थिति होनी चाहिए एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी को आरूढ़ करने के लिए कौन–कौन से उपाय हों।

1.2.6 सारांश

इस अध्याय में हमने भाषा के महत्व के बारे में पढ़ा। भाषा अभिव्यक्ति का एक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, यह हमारे समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। भाष के बिना मनुष्य अपूर्ण है और अपने इतिहास और परंपरा से विछिन्न है।

1.2.7 स्वयं जांच अभ्यास

1. अंग्रेजी भाषा के विपक्ष में कोई दो तर्क..............................और.....................हैं।
2. हिन्दी भाषा के पक्ष में कोई दो तर्क..........................और.....................हैं।

उत्तर

1. जनमानस की भाषा, अमनोवैज्ञानिकता
2. सामाजिक समानता, व्यक्तित्व के विकास में सहायक

1.2.8 अभ्यास के लिए प्रश्न :

(i) भाषा का मनुष्य, समाज एवं राष्ट्र के संदर्भ में क्या महत्व है?

(ii) वर्तमान संदर्भों में शिक्षण का माध्यम हिंदी भाषा होनी चाहिए। पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए।

(iii) आधुनिक समाज में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए।

1.2.9 सहायक पुस्तकें :-

1. हिन्दी शिक्षण – डा. जय नारायण कौशिक हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़।
2. हिन्दी भाषा शिक्षण – भाई योगेन्द्रजीत, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. आधुनिक हिन्दी शिक्षण – डा. जसबन्त सिंह जस न्यू बुक कम्पनी, भाई हीरा गेट, जालन्धर।
4. हिन्दी शिक्षण – केशव प्रसाद धनपत राय एण्ड सन्स, नई सड़क, दिल्ली।

पाठ नं• 1.3 **मधु नरुला**

भाषा और माध्यम भाषा में अन्तर

1.3.1 उद्देश्य
1.3.2 प्रस्तावना
1.3.3 भाषा और माध्यम भाषा में अन्तर
1.3.4 भाषा की शिक्षक, शिक्षार्थी सम्बन्ध में भूमिका
1.3.5 सारांश
1.3.6 स्वयं जांच अभ्यास
1.3.7 अभ्यास के लिए प्रश्न
1.3.8 सहायक पुस्तकें

1.3.1 उद्देश्य :

इस अध्याय के पठनोपरांत विद्यार्थी

(i) भाषा और माध्यम भाषा में अन्तर को समझ पाएंगे।

(ii) शिक्षक, शिक्षार्थी संबंधों में भाषा की भूमिका की समझ विकसित कर पाएंगे।

1.3.2 प्रस्तावना :

किसी भी वस्तु, प्राप्ति या उपलब्धि के साधन को माध्यम कहा जाता है। प्राप्तियां अनेक होती हैं इसलिए 'माध्यम' भी अनेक हैं। ज्ञान प्राप्ति के अनेक माध्यमों के अत्यन्त लोकप्रिय उपयोगी एवं व्यवहारिक माध्यम हैं–'भाषा'। भाषा का ज्ञान मनुष्य को मां की गोद से होता है। यही उसकी मातृभाषा भी होती है। भाषा परस्पर विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भी है। इस अध्याय में हम भाषा और माध्यम भाषा में क्या अन्तर है उसके बारे में पढ़ेंगे।

1.3.3 भाषा और माध्यम भाषा में अन्तर :

भाषा के माध्यम से मानव अपने ज्ञान को संचित, उसकी अभिवृद्धि एवं उसे प्रसारित करता है भारत जैसे विशाल देश में भाषाओं की विविधता का होना स्वाभाविक है, सभी भाषाओं का आदर सम्मान तथा विकास होना चाहिए। भाषाओं की शिक्षा के लिए विद्वानों ने भाषाओं को पांच वर्गों में बाँटा है–

1. मूल भाषा।
2. सांस्कृतिक भाषा।

3. मातृभाषा।
4. राष्ट्र भाषा
5. अन्तर्राष्ट्रीय भाषा

शिक्षार्थी के स्वाभाविक विकास के लिए मातृभाषा का बहुत महत्व है। राष्ट्र–भाषा हिन्दी को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना आवश्यक है। विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा भी आवश्यक है। क्योंकि उच्च शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की शिक्षा में आवश्यकता पड़ेगी। पर प्रश्न पैदा होताा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए कौन से स्तर पर किस–किस भाषा को पढ़ाया जाए? विद्यार्थी के लिए कितनी भाषाएँ पढ़ना आवश्यक होना चाहिए? तीसरा प्रश्न है कि विद्यार्थी की शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो?

स्कूलों में शिक्षा मातृभाषा, राष्ट्र भाषा सांस्कृतिक भाषा एवं विदेशी भाषा पढ़ाई जाती है। सभी भाषाओं का अपना अपना स्थान है। कुछ शिक्षा विद्वानों का मानना है। भाषा का उद्देश्य जहां वर्तमान से सामंजस्य करना सिखाना है वहाँ दूसरी ओर भावी जीवन के लिए तैयार भी करना है। विद्यार्थी उपर्युक्त मुख्य भाषाओं में कौशल अर्जित (श्रवण, बोलना, पढ़ना, लिखना) कर लेता है तो शिक्षा काल में किसी भी भाषा को शिक्षा का माध्यम के रूप में अभिव्यक्ति कर सकता है। परन्तु हर भाषा को शिक्षा के माध्यम से रूप में स्वीकार करना यह हर विद्यार्थी के लिए मुश्किल कार्य है।

जिस धारा प्रवाह से वह अभिव्यक्ति कर सकता है उसे वही भाषा शिक्षा का माध्यम भाषा रख लेनी चाहिए। यदि अन्तर की दृष्टि से भाषा और माध्यम भाषा में परखा जाए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन दोनों में अन्तर करना कठिन कार्य है। फिर भाषाओं को अधिक स्पष्टता और गहनता से समझने के लिए इसमें अन्तर के दृष्टिकोण से इसका वर्णन निम्न प्रकार से है–

अन्तर : भाषा	**शिक्षा माध्यम भाषा**
1. भाषा व्यक्ति के पूर्ण विकास में एक अजस्त्र धारा है जितनी भाषाएं अपने जीवन में सीखता है उससे विद्यार्थी का आत्म विश्वास बढ़ता है।	शिक्षा माध्यम की भाषा एक ऐसी ओजस्विनी शक्ति है, विद्यार्थी के जन्म से पूर्व ही बन रहे शरीर के स्नायु तंत्र के जाल के रूप में बसी होती है। क्योंकि शिक्षा विद्वान एवं मनोवैज्ञानिक विद्यार्थी के लिए मातृभाषा को ही शिक्षा माध्यम की भाषा को उचित ठहराया है।
2. व्यक्ति के जीवन काल में भाषाओं के शिक्षण के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यह विद्यार्थी के बुद्धिमता, ग्राह्यशक्ति तथा प्रतिभा पर निर्भर करता है।	व्यक्ति के शिक्षा काल में शिक्षा का माध्यम दो या तीन ही हो सकते हैं और विद्यार्थी के शैक्षणिक स्तर के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं।
3. वैज्ञानिक व ओद्योगिक युग में केवल अपने	शिक्षा माध्यम की भाषा हर प्रकार को ज्ञानार्जन

भाषा भाषियों के साथ जीवन व्यतीत करना मुश्किल कार्य हो चला है बाकी जीवन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सम्पर्क स्थापन के लिए अन्य भाषाओं का सीखना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।	में सक्षम होती है। क्योंकि प्रारम्भिक कक्षा से लेकर उच्च कक्षा तक एक ही माध्यम की भाषा को चुना जा सकता है।
4. प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो मातृभाषा के अतिरिक्त कोई भी भाषा को शिक्षा का माध्यम अपनाने में सक्षम होता है। मातृभाषा तो उसका बाएं हाथ का खेल होता है।	विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम भाषा प्रारम्भिक कक्षाओं में मातृभाषा उचित रहता है। ऐसा शिक्षा विद एवं मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिकों का मानना है।
5. भाषाओं में भाषायी कौशल सीख जाना तो बहुत ही अच्छा रहता है। यदि विद्यार्थी इन कौशलों को अर्जित करने के लिए अतिरिक्त शक्ति लगायेगा तो हो सकता है शिक्षा के अन्य विषयों पर दुष्प्रभाव पड़े। उनको समय न दे पा सके।	शिक्षा का माध्यम भाषा के रूप में मूल्यांकन अति आवश्यक है। क्योंकि मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होता है, अन्य विषय जैसे विज्ञान, भूगोल, सामाजिक, इत्यादि भी शिक्षा माध्यम वाली भाषा पर निर्भरता होती है।
6. भारत जैसे बहुभाषी समाज के संदर्भ में देखा गया है कि कोई व्यक्ति इसलिए भी प्रतिष्ठित हो जाता है कि वह व्यक्ति निश्चित भाषा भाषी है जैसे अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए।	शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक या मातृभाषा रखने वाले कई बार असहाय, निर्बल माने जाते है क्योंकि वह अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर सकते।
7. अधिक भाषाओं की जानकारी के लिए उस भाषा की गहनता में उतरना अपेक्षित नहीं हो सकता जैसे जरूरी नही कर अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन भी करें।	शिक्षा माध्यम भाषा से विद्यार्थी अपनी भाषा के साहित्य अध्ययन में भी रूचि दिखाता है। क्यांकि इसमें भाषायी कौशल भी विकसित हो गए होते हैं।
8. भौतिक जीवन–यापन के विकास एवं दिखावे के लिए अन्य भाषाओं का सीखना फैशन हो सकता है।	शैक्षणिक जीवन को उपयोगी बनाने के लिए माध्यम भाषा पर ही निर्भर किया जा सकता है। माँ के गोद की भाषा में सहजता सुलभता है वहां दिखावे के लिए कोई स्थान नहीं।
9. विश्व में अन्य सम्पर्क स्थापन के लिए विदेशी भाषाओं को सीखना व अध्ययन आवश्यक है।	शिक्षा के माध्यम भाषा का विशेष सम्पर्क स्थापन का कोई लेना देना नहीं होता। अन्य विषयों की विषय–वस्तु के साथ स्थापन ही उनका उद्देश्य रहता है।

1.3.4 भाषा की शिक्षक, शिक्षार्थी सम्बन्ध में भूमिका

मानव मन के विकास की आधार शिला भाषा है। यह मनुष्य के सांस्कृतिक मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षणिक आदि विकासों का स्त्रोत है।

भाषा के बिना शिक्षा की प्राप्ती या अध्यापन कार्य शिक्षक या शिक्षार्थी सोच भी नहीं सकते। भाषा के बिना कोई भी शैक्षणिक कार्य नहीं हो सकता। शिक्षक और शिक्षार्थी भाषा के माध्यम से अपने जीवन को आलोकित करते हैं। शिक्षार्थी को जिस तरह से भाषा की ध्वनियों, मात्राएं, लिपि, वाक्य विन्यास आदि तत्वों के बारे में समझाया जाता है। विद्यार्थी के लिए वह अनुकरणीय होता है।

(क) भाषायी शिक्षक द्वारा निर्धारित शिक्षार्थी की भाषा अधिगम उद्देश्यः भाषा विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। शिक्षक जब शिक्षार्थी को भाषायी कौशल से अवगत कराता है तो उन्हें कितनी प्रकार की कठिनाईयां होती है। ये भाषायी कठिनाईयां धीरे-धीरे दोषों में बदल जाती है और यह दोष जीवन पर्यन्त चलते है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों की इन कठिनाईयों को परखता है। जिस शिक्षार्थी में जिस तरह की भी कठिनाई है उसे दूर करता है।

शिक्षक द्वारा निम्न प्रकार की कठिनाईयों को जानना आवश्यक हैः

1. ग्राह्य सम्बन्धी
2. बोलने (उच्चारण) सम्बन्धी
3. वाचन सम्बन्धी
4. लेखन सम्बन्धी

'भाषा' शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। यदि विद्यार्थी भाषा सम्बन्धी दोष लेकर शिक्षा संस्था से बाहर आते हैं तो शिक्षक के लिए भी यह बड़ा आद्यात होगा।

1. **भाषायी कौशलः** श्रवण, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा अधिगम के लिए आवश्यक क्रम है। भाषा सीखने में प्रथम स्थान श्रवण कौशल का है। यह अन्य कौशलों के विकास का आधार है जो ठीक प्रकार से सुनते नहीं वह भााषा-ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं। यदि शिक्षार्थी को ध्यानपूर्वक सुनना, सुनी हुई बातों को समझने का अभ्यास न हो तो वह भाषायी कार्य जैसे बोलना पढ़ना, लिखना नहीं कर सकता। इसलिए अध्यापक अपने विद्यार्थियों के सन्मुख शुद्ध उच्चारण करे।

दूसरा कौशल मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य को पूरा करना आवश्यक होता है। मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार करता है। मौखिक अभिव्यक्ति से विद्यार्थियों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध किया जाता है। प्राथमिक स्तर से ही मौखिक भाषा की शिक्षा पर ध्यान देकर उनकी अभिव्यक्ति में स्पष्टता, शुद्धता, मधुरता, सुबोधता इत्यादि गुणों का विकास किया जाता है।

तीसरा महत्वपूर्ण कौशल पढ़ना (पठन) कौशल है। लिपिबद्ध शब्दों को पढ़ कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया वाचन कहलाती है। शिक्षक इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अक्षरों,

शब्दों का ज्ञान करवाना और शुद्ध उच्चारण एवं उचित उतार-चढ़ाव के साथ पढ़ सकने की योग्यता के लिए प्रयास करते रहना आवश्यक है।

चौथा कौशल 'लेखन' का जीवन में बहुत महत्व है। मौखिक अभिव्यक्ति या पठन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। विद्यार्थियों को अक्षरों की सुन्दर सुडौल तथा स्पष्ट बनावट सिखाकर उनमें लेखन की प्रवृत्ति का विकास किया जाना भाषायी शिक्षक का उद्देश्य होता है।

भाषा शिक्षक को उपर्युक्त भाषायी उद्देश्यों को सामने रखकर अपना शिक्षण कार्य में नियोजित भूमिका अपनाने की आवश्यकता रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य भी सन्मुख रख अपने शिक्षण कार्य को जारी रखा जाए जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

2. **व्यक्तित्व विकासः** भाषा के प्रभावशाली प्रयोग से विद्यार्थी के व्यक्तित्व की समाज में छाप पड़ती है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वोन्मुखी विकास है। इस लक्ष्य की पूर्ति में सबसे अधिक भूमिका भाषायी शिक्षक की हो सकती है। भाषा का महत्व केवल बौद्धिक विकास में ही नहीं बल्कि चारित्रिक विकास में भी है।

3. **शारीरिक विकासः** भाषायी शिक्षक लिपि–ध्वनियों को स्पष्ट करता है तो वहीं ध्वनियां शिक्षार्थी के मस्तिष्क में अंकित हो जाती है तो उसके स्वर तंत्रियों के विकास में सहायक होती है। शिक्षक को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षार्थी की स्वतंत्रियों का विकास ठीक ढंग से हो और वह स्पष्ट ध्वनि निकाल सके। धीरे-धीरे यह स्वतंत्रियों विकसित हो बोलचाल को स्पष्ट करती है।

4. **मानसिक एवं बौद्धिक विकासः** मानसिक विकास से विचार शक्ति प्रबल होती है। जितना मानसिक योग्यता को समझा जाएगा और उसके विकास पर ध्यान दिया जाएगा। उतना ही बौद्धिकता के उद्देश्य को सरलता से पाया जा सकता है। भाषायी शिक्षक भाषा और भाव के महत्व को समझते हुए उसके मानसिक विकास एवं बौद्धिक विकास के प्रयत्न करता है।

5. **व्यावहारिक कार्य के विकासः** व्यवहारिक कार्य के विकास का उद्देश्य का अर्थ है एक शिक्षार्थी जीवन में बहुत से क्षेत्रों में कार्य कलाप करता है। भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग न करने पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः इसमें कोई भी शंका नहीं भाषा व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाती है। भाषायी कौशल के उद्देश्य (श्रवण, मौखिक अभिव्यक्ति पठन, लेखन) को पाने में प्रयासरत रहने से ही दैनिक जीवन में कुशलता आती है। भाषायी शिक्षक की भूमिका इस दृष्टिकोण से भी अपेक्षित है।

6. **ज्ञान के विकासः** भाषा के अभाव में ज्ञान का विकास नहीं हो सकता। विद्यार्थी जितना ज्ञान प्राप्त करेगा। उतनी ही भाषा के विकास में सहयोगी रहेगा। भाषा एक ऐसा साधन है जो मनुष्य के ज्ञान और अनुभवों को संजो लेती है। भाषायी शिक्षण से विभिन्न क्षेत्रों जैसे इतिहास संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, विज्ञान के ज्ञान से शिक्षक अवगत करवाकर शिक्षार्थी के ज्ञान के विकास में भाषा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।

7. **अन्य उद्देश्यः** भाषा एक ऐसा साधन है जो मनुष्य के आनन्दमय, प्रसन्नचित एवं

उत्साहित, उर्जावान करने में सफलतापूर्वक कार्य करती है। भाषायी शिक्षक यदि विद्यार्थियों को इस उद्देश्य को पाने के लिए मार्गदर्शन करे तो उनका शिक्षा के उद्देश्यों को पाने में बिल्कुल कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश में प्रेम, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृभाव एवं चारित्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो सकती है। भाषा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय भूमिका अपनाती है। हमारे देश के लोगों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास हो अच्छे नागरिक पैदा करने में शिक्षक सहायक हो सके। जिससे उज्जवल समाज का निर्माण हो।

(ख) 'भाषा' शिक्षक एवं शिक्षार्थी के सम्बन्धों में निम्नलिखित प्रकार से भूमिका निभाती है।

1. **भाषायी कौशल सम्बन्धी भूमिकाः** शिक्षार्थी भाषा अधिगम में एवं अन्य ज्ञान प्राप्ति के लिए काफी हद तक शिक्षक पर निर्भर करता है। शिक्षक को यह अवगत रहता है कि भाषा के ज्ञान के अभाव में शिक्षार्थी का जीवन अधूरा रहेगा वह अपने विचारों को प्रगट करने में असक्षम होगा तो वह सफल नहीं रहेगा। तो इस तरह भाषा की महत्ता को शिक्षक भी अच्छी तरह जानता है वह उसे उन भाषायी कौशलों जैसे श्रवण मौखिक अभिव्यक्ति, पठन, लेखन से अवगत व अभ्यास करवाता है। भाषा के माध्यम से शिक्षक व शिक्षार्थी का अटूट सम्बन्ध रहना चाहिए। शिक्षार्थी शिक्षक के बोलचाल से भाषा की शुद्धता, स्पष्टता को सीखता है एवं उसको अनुकरण करता है। शिक्षक को चाहिए जो भी 'भाषा' सीखता है। उसकी ध्वनियों की स्पष्टता उसे हो, शिक्षार्थी उसी तरह अनुकरण करे और अभ्यास करते हुए उच्चारण की शुद्धता और भाषायी योग्यता को प्राप्त कर सके।

2. **सामाजिक भूमिकाः** भाषा के माध्यम से विद्यार्थी का सामाजिक विकास होता है। सामाजिक कार्य को करने के लिए विचार व्यक्त और दूसरों के विचार ग्रहण करने के लिए भाषायी शिक्षक ऐसी शिक्षण विधियों एवं शिक्षण क्रियाओं का प्रयोग कक्षा में करता है जिससे शिक्षार्थियों में सामाजिक योग्यताओं का विकास होता है। इन विकसित योग्यताओं से जीवन में उनके मानवीय सम्बन्ध मज़बूत होते हैं। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को भाषण प्रतियोगिताओं काव्य गोष्ठियों, एकांकी, नाटक इत्यादि खेलने के लिए उत्साहित करता है। इस तरह भाषा के माध्यम से पाठ सह क्रियाओं से सामाजिक गतिविधियों को विकसित करता रहता है।

3. **शैक्षणिक भूमिकाः** शिक्षार्थी के जीवन काल में शिक्षा–उद्देश्य की प्राप्ति में भाषा का विकास उसके सफलता की कुंजी है। शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की भाषा पर एक ऐसी मज़बूत पकड़ करवाएं कि उनकी लिखित व मौखिक अभिव्यक्ति सरल स्पष्ट हो सके। दोनों प्रकार के उद्देश्य की दृष्टि में भाषा में शुद्धता व स्पष्टता दोनों ही गुण समान रूप से अपेक्षित है।

शिक्षक भाषा सीखा कर शिक्षार्थी के शिक्षा काल में उसकी शिक्षा के लिए वही भाषा माध्यम हो जाएं, वह उसको समपन्न करवा दें तो भाषायी शिक्षक ने तो मानो अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया। शिक्षार्थी यदि भाषायी कौशलों में योग्यता पा ले तो अन्य विषय जैसे भूगोल विज्ञान, इतिहास आदि को सहज ही समझ लेगा। उसको अन्य विषयों में ज्ञानार्जन एवं अभिव्यक्ति सरल लगेगी। शैक्षणिक दृष्टि से भाषा के कौशलों में निपुणता होनी आवश्यक है।

4. **साहित्यिक भूमिकाः** किसी भी भाषा का साहित्य उसके इतिहास के जन-जीवन का

प्रतिबिम्ब होता है। भारत की प्रमुख भाषाओं का साहित्यिक महत्व है। हिन्दी भाषा की एक समृद्ध साहित्यिक परम्परा है। जिस भाषा में भी शिक्षार्थी साहित्य के पढ़ने में सहज होता है। शिक्षक उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करे। जिस भाषा में असहज होता है उसमें भी पढ़ने से वह उस भाषा के भाषायी कौशलों को प्राप्त कर धीरे-धीरे निपुणता से असहजता को मिटा सकता है। भाषायी अध्यापक को साहित्य में अच्छी-अच्छी रचनाओं के बारे में मार्गदर्शन करना चाहिए।

5. **अभिवृत्यात्मक भूमिकाः** भाषा की शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के सम्बन्ध में अभिवृत्यात्मक भूमिका होती है। अभिवृत्यात्मक से यहाँ अभिप्राय है कि भाषा के माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थियों में सद्वृत्तियों एवं सामाजिकता का विकास करता रहे। शिक्षार्थी विवेकशील होकर सद्मार्ग पर चलते रहे। इस तरह से वह कुप्रवृतियों में फंसते नहीं इस प्रकार भाषा के माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थियों में साहित्यिक रुचियां जागृत करता है और इनसे सद्वृत्तियों का विकास और विद्यार्थी सृजनात्मकता की और प्रेरित होते हैं।

6. **सृजनात्मक भूमिकाः** सृजनात्मक लेखन से अभिप्राय साधारण लेखन या अनुवाद कार्य नहीं है। शिक्षक को शिक्षार्थी की रचनात्मक प्रतिभा के विकास के लिए अवसर प्रदान करके उसमें सृजनात्मक योग्यता विकसित करनी होती है। जिससे वह साहित्य के सृजन से समाज में पनपने वाली समस्याओं के प्रति झकझोड़ कर उन्हें दिशा प्रदान कर सके। शिक्षक भी साहित्य सृजन में योगदान डाल कर विद्यार्थियों को सृजन कार्य के लिए प्रेरित करता रहेगा। दोनों ही साहित्य सृजन से भावी पीढ़ी को चिन्तन मनन में प्रवृत्त कर सही दिशा प्रदान करेंगे इस तरह से भाषा साहित्य द्वारा स्वस्थ समाज के निर्माण में भूमिका निभाती है।

7. **राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बनाने में भूमिकाः** भाषा शिक्षक व शिक्षार्थियों में अच्छे संस्कार भरने में सक्षम होती है। भाषा ही आपस में जोड़ती है। भाषा के माध्यम से विचार विनियम, संस्कृतियों को जानने से राष्ट्रीय भावना पैदा होती है। इसी तरह भाषा के माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थियों को अपने देश की सुदृढ़ परम्पराओं, आदर्शों, रीति-रिवाज़, त्योहारों, संस्कृतियों से अवगत करवाकर उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना भरता है। शिक्षक देश की आज़ादी के संघर्षों, बलिदानों की गाथाएं कविताएं शिक्षार्थियों को सुनाकर उनमें राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भर सकता है।

जितना राष्ट्र प्रेम आवश्यक है उतना अपने राष्ट्र विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय होना भी आवश्यक है। हर देश का सम्मान या विकास से ही अपने देश का विकास सम्भव है। शिक्षक भाषा की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, निबन्ध, कविताओं से ऐसे विचारों को उनके मन में स्थापित कर सकता है।

1.3.5 सारांश

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मानव जीवन में भाषा की बहुत उपादेयता है। भाषा का सम्बन्ध त्रिकोणीय है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी व भाषा तीनों मिलकर मनुष्य व समाज को सुन्दर स्वस्थ बनाते है। शिक्षक यदि श्रम करवाने व शिक्षार्थी श्रम करने में पीछे न रहे तो भाषायी कौशल

प्राप्त करने में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं तथा जीवन के हर क्षेत्र में सफल रह सकते है। शिक्षा का माध्यम, ज्ञानार्जन, समाज का विकास का साधन केवल भाषा है। यहीं नहीं दैनिक क्रियाकलापों में तो भाषा की तूती ही है। यह सिर चढ़कर बोलती है इसलिए शिक्षार्थी भाषा सम्बन्धी कठिनाईयों के सुधार में अनवरत लगा रहे जिस प्रकार डॉक्टर किसी रोग को दूर करने के लिए अनेकों प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है उसी प्रकार शिक्षार्थियों की भाषा सम्बन्धी चुनौतियों के निवारणार्थ शिक्षक अनेक विधियों, प्रक्रियाओं एवं साधनों का प्रयोग करें।

1.3.6 स्वयं जांच अभ्यास सारांश

1. भाषाओं को मुख्य..................................वर्गों में बांटा गया है।
2. ....शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के सहायक होती हैं।

उत्तर

1. पांच 2. भाषा

1.3.7 अभ्यास के लिए प्रश्न :

(i) भाषा और शिक्षा माध्यम भाषा में अन्तर स्पष्ट करें।

(ii) भाषा का शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंधों में भूमिका का विस्तार सहित विवेचन कीजिए।

1.3.8 सहायक पुस्तकें :

1. हिन्दी शिक्षण – डा. जय नारायण कौशिक हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़।
2. हिन्दी भाषा शिक्षण – भाई योगेन्द्रजीत, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. आधुनिक हिन्दी शिक्षण – डा. जसबन्त सिंह जस न्यू बुक कम्पनी, भाई हीरा गेट, जालन्धर।
4. हिन्दी शिक्षण – केशव प्रसाद धनपत राय एण्ड सन्स, नई सड़क, दिल्ली।

पाठ नं• 1.4 **मधु नरुला**

भाषाओं की स्थिति संविधान की धारा 343-351, 350

1.4.1 उद्देश्य
1.4.2 प्रस्तावना
1.4.3 भाषाओं की स्थिति संविधान की धारा 343-351, 350
1.4.4 भाषा सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक उपलब्धियां
1.4.5 कोठारी शिक्षा कमीशन 1964-66
1.4.6 भाषाओं की स्थिति
1.4.7 भाषाओं की स्थिति : पी.ओ.ए. : 1992
1.4.8 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005
1.4.9 सारांश
1.4.10 स्वयं जांच अभ्यास
1.4.11 अभ्यास के लिए प्रश्न
1.4.12 सहायक पुस्तकें

1.4.1 उद्देश्य : इस अध्याय के पठनोपरांत विद्यार्थी

(i) भाषा से संबंधित संवैधानिक धाराएं एवं उनका विवरण कर पाएंगे।
(ii) कोठारी शिक्षा कमीशन (1964-66) के महत्व को समझ पाएंगे।
(iii) राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005 के बारे में जान पाएंगे।

1.4.2 प्रस्तावना

हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन की अवधि के निर्मित हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ–साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाये जाने की सर्वाधिक मांग की जाती रही थी। संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमशः अनुच्छेद 12 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 तथा 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में अलग अलग प्रावधान किये गए हैं। इन अध्याय में हम भाषाओं की स्थिति के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे।

1.4.3 भाषाओं की स्थिति :

भाषा से केवल विचार–संप्रेषण ही नहीं होता, संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का एक मात्र माध्यम भाषा ही है। भारत में लगभग 1800 भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती है। हिन्दी सरल एवं लोक प्रिय भाषा होने के कारण अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली और समझी जाती है। स्वतन्त्रता से पूर्व एवं बाद में भी यह एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। आज अहिन्दी

भाषी प्रदेश हिन्दी की महत्त्ता को स्वीकार के उसको अपनाने लगे हैं। भारत भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतन्त्र को मजबूती प्रदान करने का काम हिन्दी द्वारा हुआ है। संविधान में भारतीय 22 भाषाओं को राष्ट्र भाषा माना गया है।

संविधान की आठवी अनुसूची में उल्लेख

संविधान 22 भाषाएं निम्नलिखित है।

असमिया	उड़िया	उर्दू	कन्नडऋ
कश्मीरी	गुजराती	तमिल	तेलुगु
पंजाबी	बंगला	मराठी	मलयालम
संस्कृत	सिन्धी	हिन्दी	कोंकणी
नेपाली	मणिपुरी	मैथिली	डोगरी
बोडो	संथाली		

राजभाषा से अभिप्रायः

शासन के राजकीय कार्य के लिए जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे राज्यभाषा कहा जाता है। स्वतन्त्रता के पश्चात् लगभग सभी राष्ट्रध्वजा वाहकों ने यह मांग की हिन्दी को ही सरकारी काम काज की भाषा बनाया जाए।

सैवंधानिक धाराओं (अनुच्छेद-343-351) का संक्षिप्त विवरण

भारतीय संविधान में राजभाषा सम्बन्धी उपबध 17वें भाग में है। इस भाग के चार अध्याय है, जिनमें 343 से 351 तक अनुच्छेद है। एक अध्याय के अनुच्छेद भी 120 एंव 210 भाषा से ही संबंधित है।

1. **पहला अध्याय :** 343 और 344 अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है।
2. **दूसरा अध्याय :** अनुच्छेद सं. 345, 346 और 347 हैं, जो राज्यों की राजभाषा और राज्यों तथा संघ के बीच संचार के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा तथा किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी दल द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं से संबंधित है।
3. **तीसरा अध्याय :** अनुच्छेद सं. 348 और 349 हैं, जिनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपबंध दृष्टव्य है।
4. **चौथा अध्याय :** अनुच्छेद सं. 350 और 351 है जो अनु. 350 में सरकारी आधिकारियों को प्रस्तुत किये जाने वाली रिर्पोट में प्रयुक्त भाषा तथा प्रारभिक शिक्षा में मातृभाषा माध्यम की सुविधा से संबंधित है तथा अनु० 351 में हिन्दी भाषा के विकास को लेकर उपबंध दृष्टव्य है।

जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा में राजभाषा संबंधी प्रावधानों के विषय में 12, 13, 14 सितम्बर, 1949 को चर्चा की गई। काफी वाद–विवाद व चर्चा के बाद हिन्दी को संघ की राजभाषा स्वीकार कर लिया गया। इन अनुच्छेदों में दर्ज महत्वपूर्ण बातों का विवरण निम्नुसार हैः

1. **अनुच्छेद** -343
   - — संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी होगी और संघ के सरकारी कामों के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा।
   - — 343(2) में यह प्रावधान है कि पन्द्रह वर्ष की अवधि में संविधान के लागू होने तक राष्ट्रपति अंग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी भाषा के प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं।
   - — 343(3) के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया एक अधिनियम पारित करके 26 जनवरी, 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में प्रावधान हो सके इस प्रावधान के अनुसार राज भाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया।
   - — **अनुच्छेद 344** – इस अनुच्छेद के अन्तर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष के समाप्त होने तथा (अर्थात् 26 जनवरी, 1955 तक) तथा 10 वर्ष के खत्म होने पर राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा राजभाषा आयोग गठित करेंगे। इस आयोग में विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य व एक अध्यक्ष होगा जो कि राष्ट्रपति द्वारा ही चयन किये जाएंगे। आयोग को भी अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए जाएंगे।

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार 1955 में आयोग का गठन हुआ। उस द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू किया गया।

   - — 344 (4) इस में यह प्रावधान है कि प्रथम तीस सदस्यों की सीमति (20 लोकसभा तथा 10 राजसभा) आयोग की सिफारिशों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को समर्पित करेगी।

अनुच्छेद 345 : इस में यह प्रावधान रक्खा गया कि किसी राज्य का विधानमण्डल कानून द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा या हिन्दी को उस राज्य के शासकीय कामों के लिए स्वीकार करेगा पर जब तक यह विधि से पारित नहीं बनता तब तक पूर्व की भाँति अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता रहेगा।

अनुच्छेद 346 : इस में यह प्रावधान किया गया है दो राज्यों के बीच या संघ और किसी राज्य के बीच पत्रादि के लिए उस समय प्राधिकृत राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा।

अनुच्छेद 347 : इस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है राज्य के किसी दल द्वारा बोली जाने वाली भाषा की मांग होने पर भाषा को उस राज्य में शासकीय प्रयोजनों के लिए उस राज्य में सर्वत्र या किसी भाग में राष्ट्रपति मान्यता प्रदान कर सकते हैं।

अनुच्छेद 348 : "इस अनुच्छेद में यह प्रावधान रक्खा गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्य–वहिया के साथ–साथ सदन के अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत है।"

इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी राज्य के राज्यपाल उस राज्य में स्थित उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिन्दी अथवा राज्य के सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त

होने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेंगे।

अनुच्छेद- 349 : इस में भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद-350 : इस अनुच्छेद अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को संघ में या राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन (आवेदन) देने का अधिकार है।

अनुच्छेद-351 : इस अनुच्छेद में हिन्दी के विकास के प्रति केन्द्र सरकार की दायित्व की व्यवस्था है कि वह हिन्दी का प्रचार–प्रसार करें ताकि देश की संस्कृति से लोग अवगत हो, शब्द निर्माण व अन्य हिन्दी के विकास की योजनाओं से वृद्धि के प्रावधानों का उल्लेख किया है।

अनुच्छेद-120 : इस अनुच्छेद में यह प्रावधान रक्ख गया कि भाग 17वें में से किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। यदि कोई सदस्य हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है।

अनुच्छेद- 210 : इस अनुच्छेद अनुसार भाग 17वें में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडलों में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित कर सकता है (यह अनुच्छेद जम्मू–कश्मीर पर लागू नहीं हैं)।

1.4.4 भाषा सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक उपलब्धियां

अनुच्छेद 344 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारम्भ से 5 वर्ष की समाप्ति और उसके ऐसे प्रारम्भ से 10 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग गठित करेंगे। तद्नुसार 1955 में मुम्बई के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बी. सी. खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग गठित किया गया। आयोग ने जो सिफारिशें की उसकी समीक्षा के लिए 30 सदस्य समिति का गठन किया गया।

— समिति ने निर्धारित तिथि तक हिन्दी की वांछित योग्यता हासिल न करने के लिए दंड व्यवस्था संबंधी आयोग के सुझाव को नहीं माना। प्रोत्साहन और इनाम देने प्रस्ताव पर भी असहमति जताई।

— उच्चतर सेवाओं के अधिकारियों के लिए हिन्दी के ईलावा दूसरी भारतीय भाषा तथा तीसरी अंग्रेजी का समर्थन किया।

— राजभाषा अधिनियम 1963 प्रस्तुत हुआ। अहिन्दी–भाषी राज्यों में असंन्तुष्टता छा गई। इस का काफी विरोध हुआ।

— 1967 में राजभाषा के संकल्प को दोहराया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 को ही 1967 में संशोधित किया गया।

— केन्द्रीय सरकार के दायित्व हिन्दी का प्रचार–प्रसार को राजभाषा विभाग द्वारा हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम के द्वारा एक वर्ष में हिन्दी में काम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

— 18 जनवरी, 1968 को राजभाषा संकल्प भी पारित किया गया।

संसद ने इस संकल्प द्वारा निम्न प्रकार से पुरावृत्ति की है।

1. राजभाषा के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने तथा उसका मूल्यांकन करे।
2. आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं को अधिक समृद्ध बनाने और उनका विकास करें।
3. राष्ट्रीय एकता के लिए त्रिभाषी फार्मूला लागू करना।
4. भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी अथवा अंग्रेजी की अनिवार्यता करने तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं को माध्यम के रूप में अपनाने के लिए संघ सरकार को निर्देश।

डा. सुरेन्द्रशर्मा ने अपनी पुस्तक 'राजभाषा हिन्दी' में लिखा है– "राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने ये नियम बनाए है– इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 है।"

1.4.5 कोठारी शिक्षा कमीशन -1964-66

भारतीय शिक्षा के इतिहास में कोठारी शिक्षा आयोग का बहुत महत्व रहा है। आयोग ने इसमें लगभग सभी शिक्षा के पहलुओं पर विचार किया है। स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा के ऐसे कई पक्ष थे जिन पर विचार करना जरूरी था क्यों कि शिक्षा परिवर्तन किए बिना, भारतीय शैक्षिक ढांचे में सुधार नहीं आ सकते थे। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 अस्तित्व में आया।

जब इस कमीशन को डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया उस समय की वर्तमान शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इस आयोग द्वारा निर्धारित सिफारिशों 20 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में कारगार रही है। आज भी इस आयोग द्वारा ही कुछ सिफारिशें शिक्षा के विकास में योगदान डाल रही है।

मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैः

1. शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना।
2. देश की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता।
3. शिक्षा का आधुनिकीकरण से सम्बन्ध।
4. मूल्यों का विकास।
5. शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र को मज़बूती प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी सिफारिशें दी जो घिनिम्न प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा में परिवर्तन से जुड़ी थी। हमें विशेषतः भाषा के दृष्टिकोण से इस आयोग को यहां समझना है।

विभिन्न स्तर पर भाषा तथा अन्य विषय के संदर्भ में सिफारिशें:

1. आयोग ने निम्न प्राथमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को निर्धारित करने की सिफारिश की–

— एक भाषा–मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा।
— गणित।
— वातावरण शिक्षा।
— चौथी कक्षा से विज्ञान।
— सामाजिक अध्ययन।
— क्रियात्मक कार्य (कार्य–अनुभव)
— शारीरिक शिक्षा एवं समाज सेवी।
— माध्यम मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा

2. उच्च प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के विषय के लिए सिफारिशें

— दो भाषाएँ।
— मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा "हिन्दी अथवा अंग्रज़ी"।
— विज्ञान, गणित।
— सामाजिक अध्ययन।
— कार्य अनुभव इत्यादि।

3. निम्न माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के विषयों सम्बन्धी सिफारिशें– तीन भाषाएँ – अहिन्दी भाषायी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित भाषाएँ थी–

— मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा।
— हिन्दी।
— अंग्रेज़ी।

हिन्दी भाषायी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित भाषाएँ होगी–

— मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा।
— अंग्रेज़ी अथवा हिन्दी।
— आधुनिक भारतीय भाषा।
— इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिकशास्त्र।
— गतिण, शारीरिक शिक्षा।
— कला, भौतिक शिक्षा इत्यादि।

उच्च माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम

(क) कोई भी दो भाषाएँ–

— आधुनिक भारतीय भाषा/विदेशी भाषा।
— साहित्यिक भाषा।

(ख) कोई तीन विषय

— निम्नलिखित में से कोई तीन विषय
इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, कला, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भू–विज्ञान, जीव–विज्ञान इत्यादि।

1.4.6 भाषाओं की स्थितिः

आयोग द्वारा मुख्य भाषाओं जो विद्यार्थी के लिए अतिआवश्यक है उसके लिए त्रिभाषी सुत्र का सुझाव दिया। वह निम्नलिखित अनुसार है।

त्रिभाषायी सूत्रः

(क) **हिन्दी राष्ट्रीय भाषा के रूप में:** आयोग का सुझाव था कि हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है। इस भाषा को भारत में लोकप्रियता मिली है। इसलिए मातृभाषा के पश्चात् इसका महत्व अधिक होना चाहिए। इसे संपर्क भाषा के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए।

(ख) **मातृभाषा का महत्वः** आयोग का सुझाव था कि मातृभाषा को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि मातृभाषा के ज्ञान से उसे व्यक्तित्व विकास में भी लाभ पहुँचेगा। हिन्दी का स्थान मातृभाषा की बाद ही होना चाहिए।

(ग) **अंग्रेजी का ज्ञानः** अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मान्यता मिली हुई है। आयोग का सुझाव था कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए।

तीनों भाषा के सीखने के लिए उचित शैक्षिक स्तर

आयोग ने सुझाव दिया कि तीनों भाषाओं के शिक्षण के लिए निम्न माध्यमिक अवस्था ही उचित है। इस स्तर पर बच्चों का मानसिक विकास में त्रीवता रहती है। और उसकी ग्राह्य शक्ति तेज होती है तो तीनों भाषाओं के ज्ञान को आसानी से सीखा जा सकता है।

हिन्दी और अंग्रेजी एवं ऐच्छिक भाषा को आरम्भ करने के लिए उचित-स्तर कोन सा-?

आयोग ने सुझाव दिया जब विद्यार्थियों को मातृभाषा की प्राथमिक स्तर में जानकारी हो जाए उनके पास पर्याप्त अनुभव हो जाए, फिर ही हिन्दी व अंग्रेजी भाषा का शिक्षण आरम्भ किया जाना चाहिए। त्रिभाषी सुत्र का तो आयोग ने सुझाव दिया साथ में उसमें किसी एक अन्य भाषा के ऐच्छिक रूप से पढ़ने के लिए परामर्श दिया।

1.4.7 भाषाओं की स्थिति : पी० ओ० ए० - 1992

पी० ओ० ए० (प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन) -1992: देश की स्वतन्त्रता से पहले 1910 में सरकारी शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी। उद्देश्य था, शिक्षा को प्रोत्साहन प्राप्त हो। पर 15 अगस्त सन् 1947 के पश्चात् 29 अगस्त, 1947 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा के विकास के लिए समर्पित 'शिक्षा विभाग' बनाया गया। वर्तमान समय में मंत्रालय के पास शिक्षा के दो विभाग है।

1. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग।
2. उच्च शिक्षा विभाग।

केन्द सरकार के नियन्त्रण में यह कार्यलय राज्य सरकारों के सहयोग से भारत की शिक्षा के विकास पर नज़र गढ़ाए रखता है। समयानुसार नीतियों के निर्माण व उसके क्रियान्वयन पर भी कार्यरत है। आज हमारी शिक्षा 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार है। इसी नीति को 1992 में अद्यातन किया गया था। इसे अब पी० ओ० ए० (प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन) के नाम से जाना जाता है। राष्ट्री शिक्षा नीति 1986 को देश में लागू होने से पहले ही कमियों के होते हुए विरोध का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में सीमित का गठन किया गया। जिसका उद्देश्य था उन कमियों को दूर करना एवं शिक्षा विकास के कार्य की योजना बनाना पर सीमित ने अपनी रिर्पोट सकरार को प्रस्तुत ही की थी कि सरकार बदलने से फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन हुआ और जिसकी अध्यक्षता जनार्दन रैड्डी ने की थी। उन्होंने पुनः विचार–विमर्श करके अपनी रिर्पोट 1992 में केन्द्रीय सरकार को सौंपी। उस समय के मानवीय संसाधन एवं विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने 7 मई, 1992 को संशोधित शिक्षा नीति को संसद में प्रस्तुत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन का कारण शिक्षा में विकास की शीघ्र आवश्यकता है। इस तरह 1986 की शिक्षा नीति को ही 1992 में संशोधित किया गया और इसे ही पी० ओ० ए० 1992 कहा गया। इसमें दो अनुच्छेद जोड़े गए हैं और विभिन्न शिक्षा स्तरों पर शिक्षा की विषय–वस्तु एवं प्रक्रिया के नवीनीकरण में कुछ सुधार किया गया जबकि शेष सभी विशेषताएं एवं शीर्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाले ही है।

पी० ओ० ए० 1992 अर्थात् संशोधित शिक्षा नीति में भाषाओं की स्थिति का वर्णन निम्नानुसार है-

— इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन में विभिन्न भाषाओं के विकास के सुझाव प्रस्तुत हुए विशेष रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान देने पर परामर्श दिया गया है। इस पी० ओ० ए० में त्रिभाषा सुत्र, क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग एवं हिन्दी अंग्रेजी के विकास पर भी सुझाव है। उसके अनुसार भाषायी एकरूपता लाने के लिए निम्न उपचार किये जाने चाहिए।

— केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, सेन्ट्रल इन्सीट्यूट आफ इंग्लिश एंड फारेन लेंगवेजज़ तथा सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट आफ इडियन लेंगवेजज़, जिन्हें क्रमशः हिन्दी अंग्रजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास का काम सौंपा गया है, वे संस्थाएँ आपस में तालमेल बनाए।

— सी० बी० एस० ई० एवं एन० सी० आर० टी० तथा प्रत्येक राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर स्कूल स्तर पर छात्रों द्वारा भाषायी कौशल व योग्यता को हासिल करने के लिए प्रतिरूप स्थापित करे।

— तीनों ही उपर्युक्त प्रमुख सस्थाएं भाषा के विकास के लिए सस्थाएं क्रमशः हिन्दी अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषाओं से शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को अपना मुख्य कार्य बनाएं। उनके अनुसार उनको वैसे ही कार्य करना है जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान अहिन्दी भाषी प्रदेशों से हिन्दी पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए कार्य करती है।

अन्य सुझावः

1. **प्राथमिक स्तरः** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता है। विशेष रूप से भाषायी अल्प संख्यकों के लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही हो।

   (i) जिस किसी क्षेत्र में कुल आबादी का 10% अल्प संख्यकों की एक ही भाषा है तो वहां एक या दो अल्पसंख्यकों की मातृभाषा के माध्यम वाली प्राथमिक शालाएँ खाली जाएं।

   (ii) जहाँ अल्पसंख्यक भाषायी लोगों की कुल आबादी से उनकी आबादी 10% से कम है। वहां स्कूलों में अल्पसंख्यक भाषायी शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। परन्तु अल्पसंख्यक भाषायी छात्रों की गिनती दस होना जरूरी है।

   (iii) तात्कालिक प्रभाव को देखते हुए द्विभाषीय शिक्षक इन स्कूलों में नियुक्त किए जाए।

2. **माध्यमिक स्तरः**

   (i) जिन शहरों में अल्पसंख्यक भाषायी लोग अधिक निवास करते है वहां पर उच्चतर माध्यमिक स्कूल जाति प्रति 8-10 प्राथमिक स्कूल के अनुपात में स्थापित करने की आवश्यकता है।

   (ii) इन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अल्पसंख्यकों की भाषा में हो।

   (iii) भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जाने वाले माध्यमिक स्कूलों का शिक्षण स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता है इसके लिए सरकार वित्तीय या अन्य सहायता से विकास पर ध्यान देना जरूरी है।

   (iv) भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जाने वाली उच्चतर माध्यमिक शालाओं को स्वीकृति प्रदान करने में शर्तों में ढील होनी चाहिए।

   (v) भाषायी अल्पसंख्यकों की कक्षा कोई निजी तौर पर प्रारम्भ करना चाहता है तो उन्हें इस की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

   (vi) अनुमति देने की प्रक्रिया सहज, सुगम हो जिससे दो महीने के भीतर अल्पसंख्यों के निजी स्कूल खोलने सम्बन्धी कार्य कही से उन्हें स्वीकृति प्राप्त हो सके।

उच्च शिक्षाः

1. उच्च कक्षाओं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भारतीय साहित्य को राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
2. हिन्दी आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी तथा विभिन्न विदेशी भाषाओं के विकास को भी आवश्यकत माना गया।
3. राज्यों को क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देने के प्रावधान होना चाहिए।

4. उच्च शिक्षा के लिए मौलिक लेखन, पुरानी लिपियों, संस्करणों–विश्वकोशों, शब्दकोशों, ज्ञानवर्धक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए स्वयं संगठनों एवं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने का परामर्श भी ध्यान में दिलाया गया।

पी० ओ० ए० ने सुझाव दिया कि भारत में भाषायी सर्वेक्षण अतिआवश्यक है ताकि भाषाओं के विकास का पता चले आने वाले समय इस ओर कार्यक्रम बना के प्रमुख भाषाओं के विकास को यकीनी बनाया जा सके।

उपर्युक्त आधार पर कहा जा सकता है कि संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 जिसे पी० ओ० ए० 1992 कहा गया है, में भाषाओं के विकास तथा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी एजेंसियों के लिए विभिन्न नीतिगत मानकों को तैयार करने हेतु एक विस्तृत रणनीति ही इसमें त्रिभाषा सूत्र को प्रभावी ढंग से लागू करने अथवा मातृभाषाओं के विकास पर भी जोर दिया गया है।

1.4.8 राष्ट्रीय पाठय-चर्या 2005

राष्ट्रीय पाठय–चर्या 2005 के लिए एन० सी० ई० आर० टी० की ओर से सामाजिक विचार–विमर्श किया गया। विद्यार्थियों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। इसके लिए कुछ केन्द्रीय समिति एवं परिषदों की भी भागीदारी रही। राज्य सरकारों ने भी अगस्त 2005 में राष्ट्रीय पाठ्य चर्या की रूपरेखा के प्रारूप पर विचार–विमर्श करने के लिए कार्यशलाओं का आयोजन किया। और उस प्रतिवेदन के आधार पर विद्वतजनों ने विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का पुर्नाविकोलन किया। कमेटी की अध्यक्षता प्रो. यशपाल (पूर्व अध्यक्ष यू० जी० सी०) ने की। इस कमेटी में 35 सदस्यों के साथ एन० सी० आर० टी० के पाठय चर्या समूह के सदस्य भी सम्मिलित किए गए।

इसके लिए निर्देशित सिद्धांत निम्नलिखित थे–

1. स्कूल के बाहरी जीवन के अनुभवों के साथ ज्ञान को जोड़ना।
2. रटन्त प्रणाली, को शिक्षण से अलग करना।
3. पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के पूर्ण विकास के अनुसार बनाना जिसमें पाठ्य–पुस्तक केन्द्रिता न हो।
4. परीक्षाओं में परितर्वन की आवश्यकता जिस को कक्षा–कक्ष के जीवन के साथ जोड़ना।

भाषा सम्बन्धी त्रि-भाषीय फार्मूलाः

1. विद्यालयों में निर्देशन का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।
2. यदि प्रादेशिक भाषा सीखने वाले की मातृभाषा नहीं है तो भी शिक्षा के पहले दो वर्ष मातृ–भाषा में ही होने चाहिए।
3. प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी त्रिभाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ेगे।
4. माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थी राज्य की भाषा के साथ अंग्रेज़ी भी पढ़ेगे।
5. अहिन्दी भाषी प्रदेश में विद्यार्थी हिन्दी सीखते हैं। हिन्दी भाषी प्रदेश में वे भाषा

सीखते हैं जो उनके क्षेत्र की नहीं होती। इन के साथ संस्कृत का अध्ययनरूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

6. उच्च विद्यालय में, एक कलासिकल भाषा भी लागू हो सकती है और उच्च हाई विद्यालय में विदेशी भाषा हो सकती है।

द्वितीय - भाषा शिक्षण (अंग्रेजी)

2005 के पाठ्य चर्या के अनुसार द्वितीय भाषा शिक्षण की कमियों को समक्ष रखा कि शिक्षक में द्वितीय भाषा में प्रशिक्षण की कमी से विद्यार्थी लाभ से वंचित रहते हैं। क्योंकि अध्यापक में ही मौलिक शिक्षण निपुणताओं की कमी रहती है। वे विद्यार्थियों को कल्पनाशील एवं खोजपूर्ण बनाने में असफल रहते हैं।

इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए।

1. विद्यार्थियों को अपने जीवन के अनुभवों को लिखित रूप देने के लिए कहा जाना चाहिए।
2. विद्यार्थियों को अतिरिक्त पाठ्य–वस्तु पढ़ने के लिए कहा जाए। वे कविताएं कहानियों से भाषा को सम्पुष्ट बना सके।
3. द्वितीय भाषा शिक्षण (अंग्रेजी) कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य, ढंग, विषय–सामग्री इत्यादि बदलते हैं।
4. अंग्रेजी भाषा, को कक्षा प्रथम से ही विषय के रूप में पढ़े।
5. यदि हम अगले पांच वर्ष में अंग्रेजी शिक्षण में सफलता प्राप्त करने योग्य नहीं होते तो हमें सभी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम बनाने की मांग पर विचार किया जा सकता है।

1.4.9 सारांश

1. प्रत्येक विद्यार्थी में बहुभाषिक प्रवीणता विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
2. आदिवासी भाषाओं सहित विद्यार्थियों की मातृभाषाओं की शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया।
3. भाषाओं के शिक्षण में सुनना पढ़ना लिखना बोलना क्रियाएँ पाठ्य चर्या के सभी क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति में भूमिका निभाती है इसलिए इन्हें पाठ्यचर्या की योजना का आधार होना चाहिए।

1.4.10 स्वयं जांच अभ्यास

1. संविधान की आठवीं अनुसूची में...............................भाषाओं का उल्लेख है।
2. भारत में लगभग..........................भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं।

उत्तर

1. 22 2. 1800

1.4.11 अभ्यास के लिए प्रश्न :

(i) भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक धाराओं का विस्तार सहित वर्णन कीजिए।

(ii) भारतीय शिक्षा के इतिहास में कोठारी शिक्षा आयोग के महत्व को लिखिए।

(iii) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 पर विस्तृत निबंध लिखिए।

1.4.12 सहायक पुस्तकें :

1. हिन्दी शिक्षण – डा. जय नारायण कौशिक हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़।
2. हिन्दी भाषा शिक्षण – भाई योगेन्द्रजीत, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. आधुनिक हिन्दी शिक्षण – डा. जसबन्त सिंह जस न्यू बुक कम्पनी, भाई हीरा गेट, जालन्धर।
4. हिन्दी शिक्षण – केशव प्रसाद धनपत राय एण्ड सन्स, नई सड़क, दिल्ली।

Mandatory Student Feedback Form

https://forms.gle/KS5CLhvpwrpgjwN98

Note: Students, kindly click this google form link, and fill this feedback form once.